

2021 का विधेयक संख्यांक 19.

[दि ट्रीब्युनल्स रीफार्मस(रेशनलाइजेशन एण्ड कंडीशन्स ऑफ सर्विस) बिल, 2021 का हिन्दी अनुवाद]

**अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें)
विधेयक, 2021**

चलचित्र अधिनियम, 1952, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962, भारतीय विमानपत्तन अधिनियम, 1994, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 तथा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 तथा कतिपय अन्य अधिनियमों का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के बहतरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) अधिनियम, 2021 है ।

संक्षिप्त नाम
और प्रारंभ ।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का उस उपबंध के प्रवृत्त होने के रूप में अर्थ लगाया जाएगा ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—

(क) “अधिसूचित तारीख” से धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत तारीख अभिप्रेत है ;

(ख) “अनुसूची” से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत हैं ।

अध्याय 2

चलचित्र अधिनियम, 1952 का संशोधन

1952 के
अधिनियम सं० 37
का संशोधन ।

3. चलचित्र अधिनियम, 1952 में,—

(क) धारा 2 के खंड (ज) का लोप किया जाएगा;

(ख) धारा 5ग में,—

(i) “अधिकरण” शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वह आता है “उच्च न्यायालय” शब्द रखा जाएगा ;

(ii) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ;

(ग) धारा 5घ और धारा 5घघ का लोप किया जाएगा ;

(घ) धारा 6 में “या, यथास्थिति, अधिकरण ने विनिश्चय कर दिया है (किन्तु जिसके अन्तर्गत किसी ऐसे मामले से संबंधित कोई ऐसी कार्रवाई नहीं है जो अधिकरण के समक्ष लंबित है)” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ङ) धारा 7क और धारा 7ग में “अधिकरण” शब्द के स्थान पर जहां कहीं वह आता है “उच्च न्यायालय” शब्द रखे जाएंगे;

(च) धारा 7घ, धारा 7ङ और धारा 7च में “अधिकरण” शब्द का जहां कहीं वह आता है लोप किया जाएगा;

(छ) धारा 8 की उपधारा (2) के खंड (ज), खंड (झ), खंड (ञ) और खंड (ट) का लोप किया जाएगा।

अध्याय 3

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 का संशोधन

1957 के
अधिनियम सं० 14
का संशोधन ।

4. प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 में,—

(क) धारा 2 में,—

(i) खंड (कक) का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (चक) को खंड (चकक) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः अक्षरांकित खंड (चकक) के पहले निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(चक) किसी राज्य के प्रयोजनों के लिए “वाणिज्यिक न्यायालय” से वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग अधिनियम, 2015 की धारा 3 के अधीन गठित कोई वाणिज्य न्यायालय या धारा 4 के अधीन गठित कोई उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग अभिप्रेत है ;’

(iii) खंड (प) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘(प) “विहित” से,—

(अ) किसी उच्च न्यायालय के समक्ष कार्रवाइयों के संबंध में, उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ; और

(आ) अन्य दशाओं में इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम द्वारा विहित अभिप्रेत है ;’;

(ख) धारा 6 में,—

(i) “अपील बोर्ड” शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, “वाणिज्यिक न्यायालय” शब्द रखे जाएंगे ,

(ii) “धारा 11 के अधीन गठित प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड को निर्देशित किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा” शब्दों के स्थान पर “प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड को निर्देशित किया जाएगा” शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) अध्याय 2 के शीर्षक में “और अपील बोर्ड” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(घ) धारा 11 और धारा 12 का लोप किया जाएगा ;

(ङ) धारा 19क, धारा 23, धारा 31, धारा 31क, धारा 31ख, धारा 31ग, धारा 31घ, धारा 32, धारा 32क और 33क में “अपील बोर्ड” शब्दों के स्थान पर जहां कहीं आते हैं, “वाणिज्यिक न्यायालय” शब्द रखे जाएंगे ;

(च) धारा 50 में “अपील बोर्ड” शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, “उच्च न्यायालय” शब्द रखे जाएंगे ;

(छ) धारा 53क में,—

(i) “अपील बोर्ड” शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं “वाणिज्यिक न्यायालय” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) में “और इस निमित्त अपील बोर्ड का विनिश्चय अन्तिम होगा” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ज) धारा 54 में “अपील बोर्ड” शब्दों के स्थान पर “वाणिज्यिक न्यायालय” शब्द रखे जाएंगे ;

(झ) धारा 72 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी अर्थात् :—

“72. (1) प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार के किसी अंतिम विनिश्चय या आदेश से व्यथित व्यक्ति ऐसे आदेश या विनिश्चय की तारीख से तीन मास के भीतर उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा ।

(2) ऐसी प्रत्येक अपील की सुनवाई उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा की जाएगी :

परन्तु ऐसा कोई न्यायाधीश, यदि वह ऐसा करना ठीक समझे, कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर उच्च न्यायालय की किसी न्यायपीठ को अपील निर्दिष्ट कर सकेगा ।

प्रतिलिप्यधिकार
रजिस्ट्रार के
आदेशों के
विरुद्ध अपीलें ।

(3) जहाँ कोई किसी अपील की सुनवाई किसी एकल न्यायाधीश द्वारा की जाती है, वहाँ एक और अपील, एकल न्यायाधीश के विनिश्चय आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर उच्च न्यायालय की किसी न्यायपीठ को की जाएगी ।

(4) इस धारा के अधीन किसी अपील के लिए उपबंधित तीन मास की अवधि की संगणना करने में, ऐसे आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की जानी है, प्रमाणित प्रति या अभिलेख देने में लिए गए समय को अपवर्जित किया जाएगा।”;

(ज) धारा 74 और धारा 75 में “और अपील बोर्ड” शब्दों का जहाँ कहीं वे आते हैं, लोप किया जाएगा ;

(ट) धारा 77 में “और अपील बोर्ड का प्रत्येक सदस्य” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ठ) धारा 78 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (गअ) और खंड (गगआ) का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (च) में “और अपील बोर्ड” शब्दों का लोप किया जाएगा;

अध्याय 4

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 का संशोधन

1962 के
अधिनियम सं० 52
का संशोधन ।

5. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में,—

(क) धारा 28ड के खंड (खक), खंड (च) और खंड (छ) का लोप किया जाएगा;

(ख) धारा 28डक के परन्तुक का लोप किया जाएगा;

(ग) धारा 28च की उपधारा (1) का लोप किया जाएगा;

(घ) धारा 28टक में,—

(i) उपधारा (1) में “अपील प्राधिकारी” शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहाँ वे आते हैं, “उच्च न्यायालय” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा;

(ड) धारा 26ठ में “या अपील प्राधिकारी” शब्दों का जहाँ कहीं वे आते हैं, लोप किया जाएगा;

(च) धारा 28ड में,—

(i) पार्श्वशीर्ष में “और अपील प्राधिकारी” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ।

अध्याय 5

पेटेंट अधिनियम, 1970 का संशोधन

1970 का
अधिनियम सं० 39
का संशोधन ।

6. पेटेंट अधिनियम, 1970 में,—

(क) धारा 2 की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) का लोप किया जाएगा;

- (ii) खंड (प) के उपखंड (आ) का लोप किया जाएगा;
- (ख) धारा 52 में “अपील बोर्ड या” शब्दों का जहां कहीं वे आते हैं, लोप किया जाएगा;
- (ग) धारा 58 में,—
- (i) “अपील बोर्ड या” शब्दों का जहां कहीं वे आते हैं, लोप किया जाएगा;
- (ii) “यथास्थिति” शब्द का लोप किया जाएगा;
- (घ) धारा 59 में “अपील बोर्ड या” शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (ङ) धारा 64 में “अपील बोर्ड द्वारा या” शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (च) धारा 71 में “अपील बोर्ड” और “बोर्ड” शब्दों के स्थान पर जहां कहीं वे आते हैं “उच्च न्यायालय” शब्द रखे जाएंगे ;
- (छ) धारा 76 में “या अपील बोर्ड” शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (ज) धारा 113 में,—
- (i) उपधारा (1) में,—
- (अ) “अपील बोर्ड या” शब्दों का जहां कहीं वे आते हैं, लोप किया जाएगा;
- (आ) “यथास्थिति” शब्द का लोप किया जाएगा;
- (ii) उपधारा (3) में “या अपील बोर्ड” शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (झ) अध्याय 19 में अध्याय शीर्ष के स्थान पर “अपील” अध्याय शीर्ष रखा जाएगा;
- (ञ) धारा 116 और धारा 117 का लोप किया जाएगा;
- (ट) धारा 117क में “अपील बोर्ड” शब्दों के स्थान पर जहां कहीं वे आते हैं “उच्च न्यायालय” शब्द रखे जाएंगे;
- (ठ) धारा 117ख, धारा 117ग और धारा 117घ का लोप किया जाएगा;
- (ड) धारा 117ड में “अपील बोर्ड” शब्दों के स्थान पर जहां कहीं वे आते हैं “उच्च न्यायालय” शब्द रखे जाएंगे;
- (ढ) धारा 117च, धारा 117छ और धारा 117ज का लोप किया जाएगा;
- (ण) धारा 151 में,—
- (अ) उपधारा (1) में “या अपील बोर्ड” शब्दों का दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, लोप किया जाएगा;
- (आ) उपधारा (3) में “यथास्थिति, अपील बोर्ड या न्यायालयों” शब्दों के स्थान पर “न्यायालयों” शब्द रखे जाएंगे;
- (त) धारा 159 की उपधारा (2) के खंड (xii)क), खंड (xii)ख) और खंड (xii)ग) का लोप किया जाएगा ।

अध्याय 6

भारतीय विमान पतन प्राधिकरण अधिनियम 1994 का संशोधन

1994 के
अधिनियम सं० 55
का संशोधन ।

7. भारतीय विमानपतन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 में,—

(क) धारा 28क के खंड (ड) का लोप किया जाएगा;

(ख) धारा 28ड में “अधिकरण” शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वह आता है “केन्द्रीय सरकार” शब्द रखा जाएगा;

(ग) धारा 28झ, धारा 28ञ और धारा 28ञक का लोप किया जाएगा;

(घ) धारा 28ट में,—

(i) उपधारा (1) में,—

(अ) “ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए, अधिकरण” शब्दों के स्थान पर, “उच्च न्यायालय” शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) परन्तुक में “अधिकरण” शब्द के स्थान पर, “उच्च न्यायालय” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) का लोप किया जाएगा;

(ड) धारा 28ठ का लोप किया जाएगा;

(च) धारा 28ड में “या अधिकरण” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(छ) धारा 28ढ की उपधारा (2) में “अधिकरण” शब्द के स्थान पर “उच्च न्यायालय” शब्द रखे जाएंगे;

(ज) धारा 33 में “या अधिकरण का अध्यक्ष” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(झ) धारा 41 की उपधारा (2) के खंड (छvi), खंड (छvii), खंड (छviii) और खंड (छix) का लोप किया जाएगा ।

अध्याय 7

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 का संशोधन

1999 के
अधिनियम सं० 47
का संशोधन ।

8. व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 में,—

(क) धारा 2 की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क), खंड (घ), खंड (च), खंड (ट) और खंड (ढ), खंड (यड) और खंड (यच) का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (ध) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘(ध) “विहित” से,—

(i) किसी उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों के संबंध में, उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ; और

(ii) अन्य दशाओं में इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम द्वारा विहित अभिप्रेत है ;’;

(ख) धारा 10 में, “अधिकरण” शब्द के स्थान पर, “,यथास्थिति, रजिस्ट्रार या उच्च न्यायालय” शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) धारा 26 में, “अधिकरण” शब्द के स्थान पर, “,यथास्थिति, रजिस्ट्रार या उच्च न्यायालय” शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) धारा 46 की उपधारा (3) में, “अधिकरण” शब्द के स्थान पर, “,यथास्थिति, रजिस्ट्रार या उच्च न्यायालय” शब्द रखे जाएंगे ;

(ङ) धारा 47 में, —

(i) “अपील बोर्ड” शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं “उच्च न्यायालय” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) “अधिकरण” शब्द के स्थान पर, जहां वह आता है “,यथास्थिति, रजिस्ट्रार या उच्च न्यायालय” शब्द रखे जाएंगे ;

(च) धारा 55 की उपधारा (1) में, “अधिकरण” शब्द के स्थान पर, “,यथास्थिति, रजिस्ट्रार या उच्च न्यायालय” शब्द रखे जाएंगे ;

(छ) धारा 57 में, —

(i) “अपील बोर्ड” शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं “उच्च न्यायालय” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) “अधिकरण” शब्द के स्थान पर, जहां वह आता है “,यथास्थिति, रजिस्ट्रार या उच्च न्यायालय” शब्द रखे जाएंगे ;

(ज) धारा 71 की उपधारा (3) में, “अधिकरण” शब्द के स्थान पर, “,यथास्थिति, रजिस्ट्रार या उच्च न्यायालय” शब्द रखे जाएंगे ;

(झ) अध्याय 11 में अध्याय शीर्ष के स्थान पर “अपील” अध्याय शीर्ष रखा जाएगा;

(ञ) धारा 83, धारा 84, धारा 85, धारा 86, धारा 87, धारा 88, धारा 89, धारा 89क और धारा 90 का लोप किया जाएगा;

(ट) धारा 91 में, “अपील बोर्ड” शब्दों के स्थान पर जहां कहीं वे आते हैं, “उच्च न्यायालय” शब्द रखे जाएंगे;

(ठ) धारा 92 और धारा 93 का लोप किया जाएगा;

(ड) धारा 94 के (क) स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“94. तत्कालीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य पद धारण करने से प्रविरत हो जाने पर रजिस्ट्रार के समक्ष उपसंजात नहीं होंगे।”;

(ढ) धारा 95 और धारा 96 का लोप किया जाएगा;

(ण) धारा 97 में “अपील बोर्ड” शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं “उच्च न्यायालय” शब्द रखे जाएंगे;

(त) धारा 98 में “अपील बोर्ड” और बोर्ड शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं “उच्च न्यायालय” शब्द रखे जाएंगे;

रजिस्ट्रार के समक्ष उपसंजात होने का वर्जन ।

(थ) धारा 99 और धारा 100 का लोप किया जाएगा;

(द) धारा 113 में,—

(i) “अपील बोर्ड” शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां कहीं वे आते हैं “उच्च न्यायालय” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) “अधिकरण” शब्द के स्थान पर, “,यथास्थिति, रजिस्ट्रार या उच्च न्यायालय” शब्द रखे जाएंगे ;

(ध) धारा 123 में “और अपील बोर्ड का प्रत्येक सदस्य” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(न) धारा 124 में और धारा 125 में “अपील बोर्ड” शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, “उच्च न्यायालय” शब्द रखे जाएंगे;

(प) धारा 130 में “अपील बोर्ड या” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(फ) धारा 141 में “अपील बोर्ड” शब्दों के स्थान पर दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं “उच्च न्यायालय” शब्द रखे जाएंगे;

(ब) धारा 144 में, “अधिकरण” शब्द के स्थान पर, “,यथास्थिति, रजिस्ट्रार या उच्च न्यायालय” शब्द रखे जाएंगे ;

(भ) धारा 157 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (xxxix) और खंड (xxxix) का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (xxxix) में “अपील बोर्ड” शब्दों के स्थान पर “उच्च न्यायालय” शब्द रखे जाएंगे।

अध्याय 8

माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 का संशोधन

1999 के
अधिनियम सं० 48
का संशोधन ।

9. माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 में,—

(क) धारा 2 की उपधारा (1) के खंड और खंड (त) का लोप किया जाएगा ;

(ख) धारा 19 में, “अधिकरण” शब्द के स्थान पर, “,यथास्थिति, रजिस्ट्रार या उच्च न्यायालय” शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) धारा 23 में “सभी न्यायालयों में तथा अपील बोर्ड के समक्ष” शब्दों के स्थान पर, “सभी न्यायालयों के समक्ष” शब्द रखे जाएंगे;

(घ) धारा 27 में,—

(i) “अपील बोर्ड” शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, “उच्च न्यायालय” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) “अधिकरण” शब्द के स्थान पर, “,यथास्थिति, रजिस्ट्रार या उच्च न्यायालय” शब्द रखे जाएंगे ;

(ङ) अध्याय 7 में अध्याय शीर्षक के स्थान पर “अपील” अध्याय शीर्षक रखा

जाएगा;

(च) धारा 31 में,—

(i) “अपील बोर्ड” शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, “उच्च न्यायालय” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (3) का लोप किया जाएगा;

(छ) धारा 32 और धारा 33 का लोप किया जाएगा;

(ज) धारा 34 और धारा 35 “अपील बोर्ड” शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, “उच्च न्यायालय” शब्द रखे जाएंगे;

(झ) धारा 36 का लोप किया जाएगा;

(ञ) धारा 48 में,—

(i) “अपील बोर्ड” शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, “उच्च न्यायालय” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) “अधिकरण” शब्द के स्थान पर, “,यथास्थिति, रजिस्ट्रार या उच्च न्यायालय” शब्द रखे जाएंगे ;

(ट) धारा 57 और धारा 58 में “अपील बोर्ड” शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, “उच्च न्यायालय” शब्द रखे जाएंगे;

(ठ) धारा 63 में “अपील बोर्ड या” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ड) धारा 72 में “अपील बोर्ड” शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, “उच्च न्यायालय” शब्द रखे जाएंगे;

(ढ) धारा 75 में, “अधिकरण” शब्द के स्थान पर, “,यथास्थिति, रजिस्ट्रार या उच्च न्यायालय” शब्द रखे जाएंगे ;

(ण) धारा 87 की उपधारा (2) के खंड (ढ) का लोप किया जाएगा।

अध्याय 9

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 का संशोधन

10. पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 में,—

(क) धारा 2 में,—

(i) खंड (घ), खंड (ढ) और खंड (ण) का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (थ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘(थ) “विहित” से,—

(अ) किसी उच्च न्यायालय के समक्ष कार्रवाइयों के संबंध में, उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ; और

(आ) अन्य दशाओं में इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम द्वारा विहित अभिप्रेत है ;’;

2001 के
अधिनियम
सं० 53 का
संशोधन ।

- (iii) खंड (म) और खंड (य) का लोप किया जाएगा;
- (ख) धारा 44 में “या अधिकरण” शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (ग) अध्याय 8 के अध्याय शीर्षक के स्थान पर “अपील शब्द” रखा जाएगा;
- (घ) धारा 54 और धारा 55 का लोप किया जाएगा;
- (ङ) धारा 56 में,—
- (i) “अधिकरण” शब्द के स्थान पर, जहां कहीं वह आता है, “उच्च न्यायालय” शब्द रखे जाएंगे;
- (ii) उपधारा (3) का लोप किया जाएगा;
- (च) धारा 57 में,—
- (i) “अधिकरण” शब्द के स्थान पर, जहां कहीं वह आता है “उच्च न्यायालय” शब्द रखे जाएंगे;
- (ii) उपधारा (5) का लोप किया जाएगा;
- (छ) धारा 58 और धारा 59 का लोप किया जाएगा;
- (ज) धारा 89 में “या अधिकरण” शब्दों का लोप किया जाएगा।

अध्याय 10

राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 का संशोधन

2003 के
अधिनियम सं० 13
का संशोधन ।

11. राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात अधिनियम, 2002 में,—
- (क) धारा 2 में,—
- (i) खंड (क) का लोप किया जाएगा;
- (ii) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
- (घक) “न्यायालय” से किसी जिले की मूल अधिकारिता वाला प्रधान सिविल न्यायालय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अपनी सामान्य मूल्य सिविल अधिकारिता का प्रयोग करने वाला “उच्च न्यायालय” भी है;”;
- (iii) खंड (ठ) का लोप किया जाएगा;
- (ख) अध्याय 2 के अध्याय शीर्षक में “और अधिकरण आदि” शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (ग) धारा 5 का लोप किया जाएगा;
- (घ) धारा 14 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“14 यथास्थिति, राजमार्ग प्रशासन या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा धारा 26, धारा 27, धारा 28, धारा 36, धारा 37 और धारा 38 के अधीन पारित आदेशों या की गई किसी कार्रवाई, सूचनाएं जारी करने या उसकी तामील को छोड़ कर, कोई अपील न्यायालय में की जाएंगी।”;

अपील।

(ड) धारा 15 और धारा 16 का लोप किया जाएगा;

(च) धारा 17 में “अधिकरण” शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वह आता है “न्यायालय” शब्द रखा जाएगा;

(छ) धारा 18 का लोप किया जाएगा;

(ज) धारा 19 में “अधिकरण” शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वह आता है, “न्यायालय” शब्द रखा जाएगा;

(झ) धारा 40 का लोप किया जाएगा ;

(ञ) धारा 41में,—

(i) “अथवा अधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपील पर पारित प्रत्येक आदेश या किया गया विनिश्चय” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) “या अधिकरण” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ट) धारा 50 की उपधारा (2) के खंड (च) का लोप किया जाएगा।

अध्याय 11

वित्त अधिनियम, 2017 का संशोधन

12. वित्त अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् वित्त अधिनियम कहा गया है) में,—

2017 के अधिनियम सं० 7 का संशोधन।

(i) धारा 184 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“184 (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा आठवीं अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट, अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताओं, नियुक्ति, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाया जाना और अन्य सेवा शर्तों का उपबंध करने के लिए नियम बना सकेगी :

अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों आदि की अर्हताएं, नियुक्ति आदि।

परन्तु ऐसा व्यक्ति, जिसने पचास वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि इस प्रकार संदेय भत्ते और प्रसुविधाएं, उस विस्तार तक होंगी जो केन्द्रीय सरकार के समान वेतन वाला पद धारण करने वाले केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी की होती हैं :

परन्तु यह भी कि यह अध्यक्ष या सदस्य किराए पर मकान लेता है वहां उसे ऐसी सीमाओं और शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियमों द्वारा विहित की जाए मकान के किराए की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी।

(2) किसी अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार

द्वारा, उपधारा (3) के अधीन गठित खोजबीन-सह-चयन समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमित कहा गया है) की सिफारिश पर, ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, नियमों द्वारा उपबंधित की जाए, की जाएगी।

(3) खोजबीन-सह-चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी—

(क) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायधीश - समिति का अध्यक्ष

(ख) भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो सचिव - सदस्य;

(ग) एक ऐसा सदस्य जो—

(i) किसी अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति की दशा में, अधिकरण का पदावरोही अध्यक्ष होगा; या

(ii) किसी अधिकरण के किसी सदस्य की नियुक्ति की दशा में अधिकरण का आसीन सदस्य होगा; या

(iii) पुनर्नियुक्ति चाहने वाले अधिकरण के अध्यक्ष की दशा में, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति होगा:

परन्तु निम्नलिखित मामलों में, ऐसा सदस्य, सदैव भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायधीश या किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति होगा, अर्थात् :—

(i) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित औद्योगिक अधिकरण; 1947 का 14

(ii) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 के अधीन गठित अधिकरण और अपील अधिकरण; 1993 का 51

(iii) ऐसे अधिकरण, जहां अधिकरण का यथास्थिति, अध्यक्ष या पदावरोही अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायधीश या किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति नहीं है; और

(iv) ऐसे अन्य अधिकरण जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उस अधिकरण की खोजबीन-सह-चयन समिति के अध्यक्ष के परामर्श से अधिसूचित किया जाए; और

(घ) उस मंत्रालय या विभाग में जिसके अधीन अधिकरण का गठन या उसकी स्थापना की गई है भारत सरकार का सचिव - सदस्य-सचिव ।

(4) समिति के अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा ।

(5) समिति का सदस्य-सचिव कोई मत नहीं डालेगा ।

(6) समिति, अपनी सिफारिशें करने के लिए अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगी ।

(7) केन्द्रीय सरकार, अधिमानतः उस तारीख से, जिसको समिति, केन्द्रीय सरकार को अपनी सिफारिशें करती है, तीन मास के भीतर, समिति की सिफारिशों पर कोई विनिश्चय लेगी ।

(8) कोई नियुक्ति इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि समिति में कोई रिक्ति या अनुपस्थिति है ।

(9) अधिकरण का अध्यक्ष और सदस्य इस धारा के उपबंधों के अनुसार पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा :

परन्तु ऐसी पुनर्नियुक्ति करने में ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई सेवा को अधिमानता दी जाएगी ।

(10) केन्द्रीय सरकार, समिति की सिफारिश पर, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, किसी ऐसे सदस्य को पद से हटा देगी, जिसे—

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है, या

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है जिसमें नैतिक अर्धमता अन्तर्वलित है; या

(ग) जो ऐसे किसी सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से शैथिल्य हो गया है; या

(घ) जिसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं जिससे उसके सदस्य के रूप में कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, या

(ङ) उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिसके कारण उसका पद पर बने रहना लोकहित के प्रतिकूल है :

परन्तु जहां किसी सदस्य को खंड (ख) से खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर हटाए जाने का प्रस्ताव है वहां उसे, उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप संसूचित किए जाएंगे और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का अवसर दिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) “अधिकरण” पद से आठवीं अनुसूची के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ii) “अध्यक्ष” पद के अन्तर्गत किसी अधिकरण का अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी भी है;

(iii) “सदस्य” पद के अन्तर्गत किसी अधिकरण का, यथास्थिति, उपाध्यक्ष, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य और तकनीकी सदस्य भी है ।”।

(ii) इस प्रकार प्रतिस्थापित धारा 184 में उपधारा (10) के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पहले निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी और 26 मई, 2017 से ही अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

“(11) न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश या डिक्री या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी,

(i) अधिकरण का अध्यक्ष चार वर्ष की अवधि के लिए या सत्तर वर्ष की आयु पूरी कर लेने तक, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा;

(ii) अधिकरण का सदस्य चार वर्ष की अवधि के लिए या सड़सठ वर्ष की आयु पूरी कर लेने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा:

परन्तु जहां किसी अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति 26 मई, 2017 और अधिसूचित तारीख के बीच की गई है और केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी नियुक्ति आदेश में विनिर्दिष्ट उसकी पदावधि या सेवानिवृत्ति की आयु उससे अधिक है जो इस धारा में विनिर्दिष्ट है तो इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य की पदावधि या सेवा निवृत्त होने की आयु या दोनों वह होगी जो पांच वर्ष की अधिकतम पदावधि के अधीन रहते हुए नियुक्ति के आदेश में विनिर्दिष्ट है।

धारा 186 का संशोधन ।

13. वित्त अधिनियम की धारा 186 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“(2) धारा 184 और धारा 185 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या अन्य प्राधिकरण अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी या सदस्य के वेतन और भत्तों को और नहीं उसकी सेवा के निबन्धन और शर्तों को उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनके अलाभकारी रूप में परिवर्तित नहीं किया जाएगा।”।

आठवीं अनुसूची का संशोधन ।

14. वित्त अधिनियम की आठवीं अनुसूची में,—

(i) मद 10, मद 12, मद 14 और मद 15 का लोप किया जाएगा ;

(ii) मद 16 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
“16. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, आयोग		
2019 (2019 का 35)”		

संक्रमणकालीन उपबंध ।

15. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी अनुसूची के विनिर्दिष्ट, यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त और अधिसूचित तारीख के ठीक पहले उस रूप में पद धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अधिसूचित तारीख से ही ऐसे पद को धारण करने से प्रविरत हो जाएगा और उसकी पदावधि या किसी सेवा संविदा के समय पूर्व पर्यवसान के लिए तीन मास से अनधिक का वेतन और भत्ते के प्रतिकर का दावा करने का हकदार होगा ।

(2) अधिसूचित तारीख से पहले प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त, अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिकरणों, अपील अधिकरणों और अन्य प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी अधिसूचित तारीख से ही अपने विद्यमान काडर, मंत्रालय या विभाग को प्रतिवर्तित हो

जाएंगे।

1961 का 43

(3) अधिसूचित तारीख से पहले, अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिकरण, अपील अधिकरण या अन्य प्राधिकरणों के समक्ष लंबित कोई अपील, आवेदन या कार्यवाही, उनसे भिन्न जो आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के समक्ष लंबित है, उस न्यायालय को अंतरित हो जाएगी जिसके समक्ष उसे इस अधिनियम के अधीन फाइल किया जाए यदि वह ऐसी अपील या आवेदन के फाइल किए जाने या कार्यवाही के प्रारंभ किए जाने की तारीख को अधिनियम प्रवर्तन में होगा और न्यायालय ऐसे मामलों में कार्यवाही उसी प्रक्रम से जिस पर वह ऐसे अंतरण से पहले थी या किसी पूर्वतम प्रक्रम से या नए सिरे से, जैसा न्यायालय ठीक समझे, प्रारंभ कर सकेगा।

(4) अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिकरण, अपील अधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किए गए या अग्रिम रूप में ली गई ऐसी सभी धनराशियों का अतिशेष, जिनका उसने अधिसूचित तारीख के पहले व्यय नहीं किया है, अधिसूचित तारीख से ही केन्द्रीय सरकार को अंतरित हो जाएगी।

(5) अधिसूचित तारीख के पहले अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिकरण, अपील अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के स्वामित्वाधीन या उनमें निहित किसी भी प्रकार की सभी संपत्ति अधिसूचित तारीख को ही केन्द्रीय सरकार को अंतरित और उसमें निहित हो जाएगी।

16. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसे उपबंध, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों, कर सकेगी :

परन्तु ऐसा आदेश, अधिसूचित तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

अनुसूची

(धारा 15 देखिए)

1. चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) के अधीन अपील अधिकरण ।
2. आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण ।
3. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 55) के अधीन विमानपत्तन अपील अधिकरण ।
4. व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1999 का 47) के अधीन बौद्धिक सम्पदा अपील बोर्ड ।
5. पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) के अधीन पौधा किस्म संरक्षण अपील अधिकरण ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

अधिकरणों को सरल और सुवाही बनाने की दृष्टि से, अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) विधेयक, 2021 को, कतिपय अधिकरणों और प्राधिकरणों को उत्सादित करने तथा, यथास्थिति, वाणिज्यिक न्यायालय या उच्च न्यायालय को सीधे अपील फाइल करने के लिए एक तंत्र का उपबंध करने हेतु अधिनियमित करने का प्रस्ताव है।

2. भारत सरकार ने वर्ष 2015 में अधिकरणों के सुव्यवस्थीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी। वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा समान कार्यकरण पर आधारित सात अधिकरणों को उत्सादित या विलीन कर दिया था और उनकी कुल संख्या को छब्बीस से कम करके उन्नीस कर दिया था। पहले चरण में तर्कसंगत रूप से ऐसे अधिकरणों को बन्द किया गया था जो आवश्यक नहीं थे और उनका विलय समान कार्य करने वाले अधिकरणों में कर दिया गया था।

3. दूसरे चरण में, पिछले तीन वर्षों के डाटा का विश्लेषण करने से यह दर्शित हुआ है कि अनेक सेक्टरों में अधिकरण आवश्यक रूप से त्वरित न्याय का परिदान नहीं कर पाए हैं और इनके कारण राजकोष को भी पर्याप्त व्यय करना पड़ा है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में, जिनके अन्तर्गत एस.पी.संपत कुमार *बनाम* भारत संघ (1987) 1 एससीसी 124, एल. चन्द्र कुमार बनाम भारत संघ (1997) 3 एससीसी 261, रोजर मैथ्यु *बनाम* साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, (2020) 6 एससीसी 1 और मद्रास विधिज्ञ संगम *बनाम* भारत संघ और एक अन्य (2020) एससीसी आनलाइन एसी 962 वाले निर्णय भी हैं, न्याय के अधिकरणवाद और अधिकरणों के निर्णयों के विरुद्ध सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल करने की निन्दा की है। अतः अधिकरणों को और सुव्यवस्थित करना आवश्यक समझा गया है क्योंकि इससे राजकोषीय व्यय में पर्याप्त बचत होगी और इसके साथ-साथ परिणामस्वरूप न्याय का परिदान त्वरित होगा। तदनुसार कुछ और अधिकरणों को उत्सादित करने और उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता को उच्च न्यायालय में अन्तरित करने का प्रस्ताव है।

4. इस चरण में जिन अधिकरणों को उत्सादित करने का प्रस्ताव है वे इस किस्म के हैं जो ऐसे मामलों में कार्यवाही करते हैं जिनमें व्यापक रूप से जनता मुकदमंबाज नहीं है या ऐसे अधिकरण हैं जो न तो ऐसे उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण कार्यभार को अपने ऊपर लेते हैं जिन्हें अन्यथा ऐसे मामलों का अधिनिर्णय करना पड़ता है और न ही वे शीघ्र निपटान उपलब्ध कराते हैं। अनेक मामले अधिकरणों के स्तर पर अन्तिमता प्राप्त नहीं करते हैं और उनमें उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तक मुकदमंबाजी चलती है, विशेषकर ऐसे मामलों में, जिनमें विवक्षाएं महत्वपूर्ण होती हैं। अतः ये अधिकरण केवल मुकदमंबाजी की एक अतिरिक्त परत को जोड़ते हैं। पृथक् अधिकरणों के लिए, पदों को भरने और ऐसे अन्य विषयों के लिए प्रशासनिक कार्रवाई की अपेक्षा होती है और ऐसी कार्रवाई में किसी विलंब के कारण मामलों के निपटान में और अधिक विलंब होता है। अधिकरणों की संख्या को घटाना न केवल आम जनता के लिए लाभप्रद होगा और इससे राजकोष के भार में भी कमी आएगी, बल्कि इससे अधिकरणों के सहायक

कर्मचारिवृन्द और अवसंरचना की कमी की समस्या भी समाप्त हो जाएगी ।

5. अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) विधेयक, 2021 अन्य बातों के साथ-साथ पूर्वोक्त प्रस्ताव को प्रभावी करने और निम्नलिखित के लिए उपबंध करने के लिए है, अर्थात् ;—

(i) चलचित्र अधिनियम, 1952, प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962, पेटेन्ट अधिनियम, 1970, भारतीय विमानपत्तन अधिनियम, 1994, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999, माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001, राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 और वित्त अधिनियम, 2017 का संशोधन करके विभिन्न अधिनियमों के अधीन अधिकरणों या प्राधिकरणों को उत्सादित करना ;

(ii) ऐसे अधिकरणों या प्राधिकरणों के समक्ष लंबित सभी मामलों का नियत तारीख को, यथास्थिति, वाणिज्यिक न्यायालय या उच्च न्यायालय को अन्तरित करना ;

(iii) ऐसे अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्य पद धारण करने से प्रविरत हो जाएंगे और वे अपनी पदावधि या किसी सेवा संविदा की समयपूर्व समाप्ति के लिए तीन मास से अनधिक का वेतन और भत्ते का दावा करने के हकदार होंगे ।

6. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;

11 फरवरी, 2021

निर्मला सीतारामन

उपाबंध

चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्यांक 37) से उद्धरण

* * * * *

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं ।

* * * * *

(ज) “अधिकरण” से धारा 5घ के अधीन गठित अपील अधिकरण अभिप्रेत है ।

* * * * *

5ग. (1) कोई ऐसा व्यक्ति, जो किसी फिल्म की बाबत प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करता है और जो बोर्ड के —

अपीलें ।

(क) प्रमाणपत्र देने से इन्कार करने वाले ; या

(ख) केवल “वयस्क” प्रमाणपत्र देने वाले ; या

(ग) केवल “विशिष्ट” प्रमाणपत्र देने वाले ; या

(घ) केवल “अनिर्बन्धित वयस्क” प्रमाणपत्र देने वाले ; या

(ङ) आवेदक को कोई काटछांट या उपान्तर करने का निदेश देने वाले,

किसी आदेश से व्यथित है, ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, अधिकरण को अपील कर सकेगा :

परन्तु यदि अधिकरण का समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी प्रयाप्त हेतुक के कारण पूर्वोक्त तीस दिन की अवधि के भीतर अपील फाइल करने से निवारित हो गया था, तो वह ऐसी अपील को तीस दिन की अतिरिक्त अवधि के भीतर ग्रहण किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील लिखित याचिका द्वारा की जाएगी और उसके साथ उस आदेश के जिसके विरुद्ध अपील की गई है, संक्षिप्त कारणों का एक कथन, जहां अपीलार्थी को ऐसा कथन दिया गया है, होगा और एक हजार रुपए से अनधिक ऐसी फीस, जो विहित की जाए, होगी ।

* * * * *

5घ. (1) धारा 5ग के अधीन बोर्ड के आदेश के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अपील अधिकरण का गठन करेगी ।

अपील अधिकरण का गठन ।

(2) अधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थान पर होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना, विनिर्दिष्ट करे ।

(3) ऐसे अधिकरण का गठन एक अध्यक्ष और अधिक से अधिक चाय सदस्यों से होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ।

(4) कोई व्यक्ति अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त होने के लिए तब तक अर्ह नहीं

होगा जब तक वह किसी उच्च न्यायालय का अवकाश प्राप्त न्यायाधीश नहीं है या ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अर्ह है ।

(5) केन्द्रीय सरकार, ऐसे व्यक्तियों को जो उसकी राय में जनता पर फिल्मों के प्रभाव को जांचने के लिए अर्ह है, अधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकेगी ।

(6) अधिकरण के अध्यक्ष को ऐसा वेतन और भत्ते दिए जाएंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं और सदस्यों को ऐसे भत्ते या फीस दी जाएगी जो विहित की जाए ।

(7) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जाएं, केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन अधिकरण के कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए एक सचिव और ऐसे अन्य कर्मचारियों की जो वह आवश्यक समझे नियुक्ति कर सकेगी ।

(8) अधिकरण का सचिव और उसके अन्य कर्मचारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो अधिकरण के अध्यक्ष से परामर्श के पश्चात् विहित किए जाएं ।

(9) अधिकरण के अध्यक्ष और उसके सदस्यों तथा सचिव और अन्य कर्मचारियों की सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

(10) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए अधिकरण अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित कर सकेगा ।

(11) अधिकरण, मामले में ऐसी जांच करने करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे और अपीलार्थी और बोर्ड को उस मामले में सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् फिल्म की बाबत ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे और बोर्ड उस मामले का निपटारा ऐसे आदेश के अनुरूप करेगा ।

अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हता, सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें ।

5घघ. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उस अधिनियम की धारा 180 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा :

परंतु वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ से पूर्व नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों का इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होना इस प्रकार जारी रहेगा, मानो वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184 के उपबंध प्रवृत्त ही नहीं हुए थे ।

केन्द्रीय सरकार की पुनरीक्षण संबंधी शक्ति ।

6. (1) इस भाग में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार स्वप्रेरणा से किसी भी प्रक्रम पर किसी फिल्म के संबंध में किसी ऐसी कार्यवाही का अभिलेख मंगा सकेगी जो बोर्ड के समक्ष लम्बित है या जिसका बोर्ड ने विनिश्चय कर दिया है या, यथास्थिति, अधिकरण ने विनिश्चय कर दिया है (किन्तु जिसके अन्तर्गत किसी ऐसे मामले से संबंधित कोई ऐसी कार्यवाही नहीं है जो अधिकरण के समक्ष लम्बित है) और उस मामले में ऐसी जांच के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, उसके संबंध में ऐसा आदेश दे सकेगी जो वह ठीक समझे और बोर्ड उस मामले का निपटारा ऐसे आदेश के अनुरूप करेगा :

परन्तु, यथास्थिति, प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति पर या ऐसे

व्यक्ति पर जिसे प्रमाणपत्र दिया गया है, प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई भी आदेश, उसको उस मामले में अपने विचार प्रकट करने का अवसर देने के पश्चात् ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं :

परन्तु यह और कि इस उपधारा की कोई बात केन्द्रीय सरकार से यह अपेक्षा नहीं करेगी कि वह ऐसे किसी तथ्य को प्रकट करे जिसे प्रकट करना वह लोकहित के विरुद्ध समझती है ।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन अपने को प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि,—

(क) कोई फिल्म जिसे प्रमाणपत्र दिया गया है, सम्पूर्ण भारत या उसके किसी भाग में अप्रमाणित फिल्म समझी जाएगी ; या

(ख) कोई फिल्म जिसे “अनिर्बन्धित” प्रमाणपत्र [या “अनिर्बन्धित वयस्क” प्रमाणपत्र या “विशेष” प्रमाणपत्र] दिया गया है ऐसी फिल्म समझी जाएगी जिसकी बाबत “वयस्क” प्रमाणपत्र दिया गया है ; या

(ग) किसी फिल्म का प्रदर्शन ऐसी अवधि के लिए निलम्बित कर दिया जाए जो निदेश में विनिर्दिष्ट की जाए :

परन्तु खण्ड (ग) के अधीन जारी किया गया कोई निदेश अधिसूचना की तारीख से दो मास से अधिक प्रवृत्त नहीं रहेगा ।

(3) उपधारा (2) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन कोई भी कार्रवाई सम्पृक्त व्यक्ति को उस मामले में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं ।

(4) उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन कोई फिल्म जिस अवधि के लिए निलम्बित की जाती है उसके दौरान वह फिल्म अप्रमाणित समझी जाएगी ।

* * * * *

7क. (1) जहां कोई फिल्म जिसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन कोई प्रमाणपत्र नहीं दिया गया है, प्रदर्शित की जाती है, या वयस्कों के लिए निर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त प्रमाणित की गई कोई फिल्म किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदर्शित की जाती है जो वयस्क नहीं है या कोई फिल्म इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों में से किसी के या केन्द्रीय सरकार, अधिकरण या बोर्ड द्वारा, अपने को प्रदत्त शक्तियों में से किसी का प्रयोग करते हुए किए गए किसी आदेश के उल्लंघन में प्रदर्शित की जाती है वहां कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसे स्थान में जहां उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह फिल्म प्रदर्शित की गई है या की जा रही है या उसका प्रदर्शन किया जाना सम्भाव्य है, प्रवेश कर सकेगा, उसकी तलाशी ले सकेगा और उस फिल्म का अभिग्रहण कर सकेगा ।

अभिग्रहण की शक्ति ।

(2) इस अधिनियम के अधीन सभी तलाशियां दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के ऐसे उपबन्धों के अनुसार की जाएंगी जो तलाशियों से संबंध रखते हैं ।

* * * * *

परीक्षण के लिए फिल्मों के प्रदर्शन का निदेश देने की शक्ति ।

रिक्तियों आदि से कार्यवाही का अविधिमान्य न होना ।

बोर्ड और सलाहकार पैनल के सदस्यों का लोक सेवक होना ।

विधिक कार्यवाहियों का वर्जन ।

नियम बनाने की शक्ति ।

7ग. केन्द्रीय सरकार अधिकरण या बोर्ड इस अधिनियम द्वारा अपने को प्रदत्त शक्तियों में से किसी का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए किसी फिल्म को अपने समक्ष या अपने द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या प्राधिकारी के समक्ष प्रदर्शित करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

7घ. अधिकरण, बोर्ड या किसी सलाहकार पैनल का कोई कार्य या कार्यवाही, यथास्थिति, अधिकरण, बोर्ड या पैनल में किसी रिक्त के या उसके गठन में किसी त्रुटि के कारण ही अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी ।

7ङ. अधिकरण, बोर्ड, और सलाहकार पैनल के सभी सदस्य जब वे इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या जब उनका ऐसे कार्य करना तात्पर्यित हो, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे ।

7च. कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के बारे में जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या की जाने के लिए आशयित हो केन्द्रीय सरकार, अधिकरण, बोर्ड, सलाहकार पैनल अथवा, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, अधिकरण, बोर्ड या सलाहकार पैनल के किसी अधिकारी या सदस्य के विरुद्ध न होगी ।

8. (1) * * * *

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस धारा के अधीन बनाए गए नियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :—

* * * *

(ज) अधिकरण के सदस्यों को संदेय भते या फीसें ;

(झ) अधिकरण के सचिव और अन्य कर्मचारियों की शक्तियां और उनके कर्तव्य ;

(ञ) अधिकरण के अध्यक्ष और उसके सदस्यों और सचिव तथा अन्य कर्मचारियों की सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें ;

(ट) अधिकरण को अपीलार्थी द्वारा किसी अपील की बाबत संदेय फीसें ;

* * * *

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम संख्यांक 14) से उद्धरण

* * * *

निर्वचन ।

2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

* * * *

(कक) “अपील बोर्ड” से धारा 11 में निर्दिष्ट अपील बोर्ड अभिप्रेत है;

* * * *

(प) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

* * * *

6. यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि,—

(क) क्या कोई कृति प्रकाशित की गई है या वह तारीख कौन सी है जिसको कोई कृति अध्याय 5 के प्रयोजनों के लिए प्रकाशित की गई थी; या

(ख) क्या किसी कृति के लिए प्रतिलिप्यधिकार की अवधि किसी अन्य देश में उस अवधि से लघुतर है जो उस कृति के संबंध में इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित है,

तो वह धारा 11 के अधीन गठित अपील बोर्ड को निर्देशित किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा :

परन्तु यदि अपील बोर्ड की राय में, धारा 3 में निर्दिष्ट प्रतियों का दिया जाना या जनता को संसूचित किया जाना महत्वपूर्ण प्रकृति का नहीं है तो उसे उस धारा के प्रयोजनों के लिए प्रकाशन नहीं समझा जाएगा ।

* * * * *

अध्याय 2

प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय और अपील बोर्ड

* * * * *

1999 का 47

11. व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 83 के अधीन स्थापित अपील बोर्ड, वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ से ही इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिकरण होगा और उक्त अपील बोर्ड, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करेगा ।

अपील बोर्ड ।

12. (1) अपील बोर्ड को, किन्हीं ऐसे नियमों के अध्याधीन जो इस अधिनियम के अधीन बनाए जाएं अपनी प्रक्रिया को स्वयं विनियमित करने की शक्ति होगी जिसके अंतर्गत उसकी बैठकों के स्थान और समय नियत करना भी है :

अपील बोर्ड की शक्तियां और प्रक्रिया ।

परन्तु अपील बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन अपने समक्ष संस्थित किसी कार्यवाही को मामूली तौर पर उस अंचल में सुनेगा जिसमें कार्यवाही के संस्थित किए जाने के समय वह व्यक्ति, जो कार्यवाही संस्थित करता है, वास्तव में और स्वच्छेया निवास करता है या कारबार चलाता है, अथवा अभिलाभ के लिए वैयक्तिक रूप से काम करता है ।

1956 का 37

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में “अंचल” से राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 में विनिर्दिष्ट अंचल अभिप्रेत है ।

(2) अपील बोर्ड अपनी शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और निर्वहन ऐसी न्यायपीठों के माध्यम से कर सकेगा जो अपील बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा उसके सदस्यों में से गठित की जाएं :

परंतु यदि अध्यक्ष की यह राय है कि किसी महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई बृहतर न्यायपीठ द्वारा की जानी अपेक्षित है तो वह उस मामले को विशेष न्यायपीठ को निर्देशित कर सकेगा जो पांच सदस्यों से मिलकर बनेगी ।

* * * * *

(5) अपील बोर्ड का कोई सदस्य किसी ऐसे मामले की बाबत जिसमें उसका

वैयक्तिक हित है बोर्ड के समक्ष किसी कार्यवाही में भाग नहीं लेगा ।

(6) इस अधिनियम के अधीन अपील बोर्ड द्वारा किया गया कोई कार्य या की गई कार्यवाही केवल बोर्ड में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि होने के आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी ।

(7) अपील बोर्ड को, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा तथा बोर्ड के समक्ष सभी कार्यवाहियां भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाहियां समझी जाएंगी ।

1974 का 2

1860 का 45

* * * * *

प्रतिलिप्यधिकार के समनुदेशन की बाबत विवाद ।

19क. (1) यदि कोई समनुदेशिनी, उसे समनुदेशित अधिकारों का पर्याप्त प्रयोग करने में असफल रहता है और ऐसी असफलता समनुदेशक के किसी कार्य या लोप के कारण नहीं मानी जा सकती है तो अपील बोर्ड, समनुदेशक से किसी परिवाद की प्राप्ति पर और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, ऐसे समनुदेश का प्रतिसंहरण कर सकेगा ।

(2) यदि किसी प्रतिलिप्यधिकार के समनुदेशन की बाबत कोई विवाद उत्पन्न होता है तो अपील बोर्ड, व्यथित पक्षकार से किसी परिवाद की प्राप्ति पर और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे, जिसके अन्तर्गत संदेय किसी स्वामिस्व की वसूली का आदेश है :

परन्तु अपील बोर्ड इस उपधारा के अधीन समनुदेशन का प्रतिसंहरण करने वाला कोई आदेश तब तक पारित नहीं करेगा जब तक, कि उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि समनुदेशन के निबंधन उस दशा में जिसमें समनुदेशक रचयिता भी है, उसके लिए कठोर हैं :

परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन समनुदेशन के प्रतिसंहरण संबंधी किसी आवेदन के निपटारे के लंबित रहने तक अपील बोर्ड समनुदेशन के निबंधनों और शर्तों के क्रियान्वयन के संबंध में, जिसके अंतर्गत समनुदेशित अधिकारों के उपभोग के लिए संदत्त किया जाने वाला कोई प्रतिफल भी है, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे :

परन्तु यह भी कि इस उपधारा के अधीन समनुदेशन के प्रतिसंहरण का कोई आदेश, ऐसे समनुदेशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर नहीं किया जाएगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्राप्त प्रत्येक परिवाद पर अपील बोर्ड द्वारा यथासंभव कार्यवाही की जाएगी और उस मामले में अंतिम आदेश परिवाद के प्राप्त होने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर पारित करने के प्रयास किए जाएंगे और उसके अनुपालन में किसी विलंब के लिए अपील बोर्ड उसके कारणों को अभिलिखित करेगा ।

* * * * *

अनाम और छद्मनाम वाली कृतियों में प्रतिलिप्यधिकार की अवधि ।

23. (1) अनाम या छद्मनाम से प्रकाशित किसी साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक या कलात्मक कृति की दशा में (जो फोटोग्राफ से भिन्न हो), प्रतिलिप्यधिकार उस वर्ष के जिसमें कृति प्रथम बार प्रकाशित की जाती है, ठीक आगामी कलैण्डर वर्ष के आरंभ से साठ वर्ष तक अस्तित्व में रहेगा :

परन्तु जहां रचयिता का वास्तविक परिचय उक्त कालावधि की समाप्ति से पहले ज्ञात हो जाता है वहां प्रतिलिप्यधिकार, उस वर्ष के जिसमें रचयिता की मृत्यु हुई हो ठीक आगामी कलैण्डर वर्ष के आरम्भ से साठ वर्ष तक अस्तित्व में रहेगा ।

(2) उपधारा (1) में रचयिता के प्रति निर्देशों का अर्थ, अनाम संयुक्त रचयिताओं की कृति की दशा में—

(क) जहां रचयिताओं में से एक का वास्तविक परिचय ज्ञात हो जाता है वहां उस रचयिता के प्रति लगाया जाएगा;

(ख) जहां एक से अधिक रचयिताओं के वास्तविक परिचय ज्ञात हो जाते हैं वहां रचयिताओं में से उस रचयिता के प्रति लगाया जाएगा जिसकी मृत्यु सबसे अंत में होती है ।

(3) उपधारा (1) में रचयिता के प्रति निर्देशों का अर्थ, छद्मनाम वाली संयुक्त रचयिताओं की कृति की दशा में—

(क) जहां रचयिताओं में से एक या अधिक के (न कि सबके) नाम छद्मनाम है और उसका या उनके वास्तविक परिचय ज्ञात नहीं होते हैं, वहां उस रचयिता के प्रति लगाया जाएगा जिसका नाम छद्मनाम नहीं है या यदि रचयिताओं में से दो या अधिक के नाम छद्मनाम नहीं हैं तो उनमें से ऐसे रचयिता के प्रति लगाया जाएगा जिसकी मृत्यु सबसे अंत में होती है;

(ख) जहां रचयिताओं में से एक या अधिक के (न कि सबके) नाम छद्मनाम हैं और उनमें से एक या अधिक के वास्तविक परिचय ज्ञात हो जाते हैं वहां ऐसे रचयिताओं में से जिनके नाम छद्मनाम नहीं हैं और ऐसे रचयिताओं में से जिनके नाम छद्मनाम हैं और ज्ञात हो जाते हैं, उस रचयिता के प्रति लगाया जाएगा जिसकी मृत्यु सबसे अंत में होती है; और

(ग) जहां सभी रचयिताओं के नाम छद्मनाम हैं और उनमें से एक का वास्तविक परिचय ज्ञात हो जाता है वहां उस रचयिता के प्रति लगाया जाएगा जिसका वास्तविक परिचय ज्ञात हो जाता है या यदि ऐसे रचयिताओं में से दो या अधिक के वास्तविक परिचय ज्ञात हो जाते हैं तो उनमें से ऐसे रचयिता के प्रति लगाया जाएगा जिसकी मृत्यु सबसे अंत में होती है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी रचयिता का वास्तविक परिचय उस दशा में ज्ञात हुआ समझा जाएगा जिसमें रचयिता का वास्तविक परिचय या तो रचयिता और प्रकाशक दोनों के द्वारा सार्वजनिक रूप से ज्ञात किया जाता है या उस रचयिता द्वारा अन्यथा अपील बोर्ड को समाधानप्रद रूप से सिद्ध कर दिया जाता है ।

* * * * *

31. (1) यदि किसी कृति में जो प्रकाशित की जा चुकी है या सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत की जा चुकी है, प्रतिलिप्यधिकार की अवधि के दौरान किसी समय अपील बोर्ड को परिवाद किया जाता है कि उस कृति में प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी ने—

(क) उस कृति का पुनः प्रकाशन करने या पुनः प्रकाशन की अनुज्ञा देने से इंकार कर दिया है या उस कृति को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करने की अनुज्ञा देने से इंकार कर दिया है और ऐसे इंकार के कारण वह कृति जनता से रोक ली गई है;

जनता से रोक ली गई कृतियों में अनिवार्य अनुज्ञप्ति ।

अथवा

(ख) ऐसी कृति को या ध्वन्यंकन] की दशा में ऐसे ध्वन्यंकन के ध्वन्यंकित कृति को ऐसे निबंधनों पर जिन्हें परिवादी युक्तियुक्त समता है, प्रसारण द्वारा सार्वजनिक रूप से संसूचित करने की अनुज्ञा देने से इंकार कर दिया है,

तो अपील बोर्ड, उस कृति में प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् और ऐसी जांच जैसी वह आवश्यक समझे करने के पश्चात् यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसे इंकार करने के आधार युक्तियुक्त नहीं हैं, प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार को निदेश दे सकेगा कि वह परिवादी, को, यथास्थिति, उस कृति को पुनः प्रकाशित करने, उस कृति को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करने या उस कृति को प्रसारण द्वारा सार्वजनिक रूप से संसूचित करने की अनुज्ञा प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को ऐसे प्रतिकर का संदाय होने पर और ऐसे अन्य निबंधनों और शर्तों के अध्यक्षीन अनुदत्त करे जैसे अपील बोर्ड अवधारित करे; और तब प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार, अपील बोर्ड के निदेशों के अनुसार ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जो अपील बोर्ड की राय में ऐसा करने के लिए अर्हित है या हैं ऐसी फीस के लिए जाने पर, जैसी विहित की जाए, अनुदत्त करेगा ।

* * * * *

अप्रकाशित या
प्रकाशित कृतियों]
में अनिवार्य
अनुज्ञप्ति—

31क. (1) किसी अप्रकाशित कृति की दशा में अथवा प्रकाशित या सार्वजनिक रूप से संसूचित किसी कृति और ऐसी कृति को भारत में जनसाधारण से विधारित कर दिए जाने की दशा में, जहां रचयिता की मृत्यु हो गई या वह अज्ञात है या उसका पता नहीं लगाया जा सकता है, या ऐसी कृति में के प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी का पता नहीं लग सकता है, वहां कोई भी व्यक्ति उस कृति को या किसी भाषा में उसके भाषांतर को प्रकाशित करने या सार्वजनिक रूप से संसूचित करने की अनुज्ञप्ति के लिए अपील बोर्ड को आवेदन कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन करने के पूर्व आवेदक अपना प्रस्ताव देश के बृहत् भाग में परिचालित अंग्रेजी भाषा के किसी दैनिक समाचारपत्र के एक अंक में प्रकाशित करेगा और जहां आवेदन किसी भाषा में किसी भाषान्तर के प्रकाशन के लिए वहां उस भाषा के किसी दैनिक समाचारपत्र के एक अंक में भी प्रकाशित करेगा ।

(3) प्रत्येक ऐसा आवेदन ऐसे प्ररूप में किया जाएगा जो विहित किया जाए और उसके साथ उपधारा (2) के अधीन जारी किए गए विज्ञापन की एक प्रति और ऐसी फीस होगी जो विहित की जाए ।

(4) जहां कोई आवेदन इस धारा के अधीन प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड को किया गया है वहां वह ऐसी जांच करने के पश्चात् जो विहित की जाए ऐसी कृति या आवेदन में वर्णित भाषा में उसके अनुवाद के लिए अनुज्ञप्ति आवेदक को अनुदत्त करने के लिए प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार को, ऐसे स्वामिस्व का संदाय करने के अधीन रहते हुए और ऐसे अन्य निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो अपील बोर्ड अवधारित करे, निदेश दे सकेगा और तदुपरि प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार आवेदन को अनुज्ञप्ति का अनुदान अपील बोर्ड के निदेशानुसार करेगा ।

(5) जहां कोई अनुज्ञप्ति इस धारा के अधीन अनुदत्त की गई है वहां प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार, आदेश द्वारा आवेदक को अपील बोर्ड द्वारा अवधारित स्वामिस्व की रकम का भारत के लोक लेखे में या अपील बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य लेखे में निक्षेप करने के लिए निदेश दे सकेगा जिससे, यथास्थिति, प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी या उसके वारिसों, निष्पादकों या विधिक प्रतिनिधियों को किसी समय ऐसे स्वामिस्व का दावा करने के लिए समर्थ बनाया जा सके ।

(6) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी कृति की दशा में यदि मूल रचयिता की मृत्यु हो गई है और यदि केंद्रीय सरकार यह विचार करती है कि कृति का प्रकाशन राष्ट्रीय हित में वांछनीय है तो वह रचयिता के वारिसों, निष्पादकों या विधिक प्रतिनिधियों से ऐसी कृति को ऐसी अवधि के भीतर जो वह विनिर्दिष्ट करे, प्रकाशित करने की अपेक्षा कर सकेगी ।

(7) जहां कोई कृति केंद्रीय सरकार द्वारा उपधारा (6) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रकाशित नहीं की जाती है वहां अपील बोर्ड कृति के प्रकाशन की अनुज्ञा के लिए ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन किए जाने पर और संबंधित पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात् ऐसे प्रकाशन की अनुज्ञा ऐसे स्वामिस्व का संदाय करने पर दे सकेगा जो अपील बोर्ड प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में विहित रीति से अवधारित करे ।

31ख. (1) किसी लाभ के आधार पर निःशक्त व्यक्तियों के फायदे के लिए या कारबार के लिए कार्यरत कोई व्यक्ति ऐसे प्ररूप और रीति में और ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए, ऐसी किसी कृति को, जिसमें प्रतिलिप्यधिकार ऐसे व्यक्तियों के फायदे के लिए अस्तित्व में है प्रकाशित करने के लिए, उस मामले में, जिसको धारा 52 की उपधारा (1) का खंड (यख) लागू नहीं होता है अनिवार्य अनुज्ञप्ति के लिए अपील बोर्ड को आवेदन कर सकेगा और अपील बोर्ड ऐसे आवेदन का निपटारा यथासंभव शीघ्रता के साथ करेगा और उस आवेदन का निपटारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर करने का प्रयास किया जाएगा ।

(2) अपील बोर्ड, उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, आवेदक के प्रत्यय पत्रों को सिद्ध करने और अपना यह समाधान करने के लिए कि आवेदन सद्भावपूर्वक किया गया है ऐसी जांच कर सकेगा या ऐसी जांच करने का निदेश दे सकेगा जो वह आवश्यक समझे ।

(3) यदि अपील बोर्ड का, कृति में के अधिकारों के स्वामियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे, यह समाधान हो जाता है कि निःशक्त व्यक्तियों को कृति उपलब्ध कराने के लिए अनिवार्य अनुज्ञप्ति जारी किए जाने की जरूरत है, तो वह प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार को आवेदक को उस कृति को प्रकाशित करने के लिए ऐसी अनुज्ञप्ति देने का निदेश दे सकेगा ।

(4) इस धारा के अधीन जारी प्रत्येक अनिवार्य अनुज्ञप्ति में प्रकाशन के साधनों और रूपविधान को, उस अवधि को, जिसके दौरान अनिवार्य अनुज्ञप्ति का प्रयोग किया जा सकेगा और प्रतियों के जारी किए जाने की दशा में, ऐसी प्रतियों की संख्या, जो जारी की जा सकेंगी, स्वामिस्व की दर सहित, विनिर्दिष्ट किया जाएगा :

निःशक्त व्यक्तियों के फायदे के लिए अनिवार्य अनुज्ञप्ति ।

परंतु जहां अपील बोर्ड ने ऐसी अनिवार्य अनुज्ञप्ति जारी की है वहां वह आगे आवेदन किए जाने पर और अधिकारों के स्वामियों को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसी अनिवार्य अनुज्ञप्ति की अवधि बढ़ा सकेगा तथा और अधिक प्रतियों के, जो वह ठीक समझे, जारी किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

आवरण रूपांतरों के लिए कानूनी अनुज्ञप्ति ।

31ग. (1) ऐसा कोई व्यक्ति, जो ऐसी किसी साहित्यिक, नाट्य या संगीतात्मक कृति की बाबत, जो कोई ध्वन्यंकन हो, जहां कि उस कृति का ध्वन्यंकन अनुज्ञप्ति द्वारा या उस कृति में के अधिकार के स्वामी की सहमति से किया जा चुका है, आवरण रूपांतर बनाने की वांछा करता है, ऐसा इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए कर सकेगा :

परंतु ऐसा ध्वन्यंकन उसी माध्यम में होगा जैसा अंतिम अंकन में था यदि अंतिम अंकन का माध्यम वर्तमान वाणिज्यिक उपयोग में नहीं रहा है ।

(2) ध्वन्यंकन करने वाला व्यक्ति ध्वन्यंकन करने के अपने आशय की पूर्व सूचना ऐसी रीति में देगा जो विहित की जाए, और उन सभी आवरणों या लेबलों की प्रतियां अग्रिम रूप से उपलब्ध कराएगा जिसके साथ ध्वन्यंकन का विक्रय किया जाना होगा और इस निमित्त अपील बोर्ड द्वारा नियत दर पर उसके द्वारा बनाई जाने वाली सभी प्रतियों की बाबत, प्रत्येक कृति में अधिकारों के स्वामी को स्वामिस्व का, अपील बोर्ड द्वारा, इस निमित्त नियत दर पर, अग्रिम रूप में संदाय करेगा :

परंतु ऐसे ध्वन्यंकन पैकेज के किसी प्ररूप में या ऐसे किसी आवरण या लेबल के साथ विक्रय या जारी नहीं किए जाएंगे जिससे जनसाधारण को उसकी पहचान के संबंध में भ्रुलावा या भ्रम होने की संभावना है और विशिष्टतया उसी कृति के किसी पूर्व ध्वन्यंकन या किसी ऐसी चलचित्र फिल्म जिसमें ऐसा ध्वन्यंकन सम्मिलित किया गया था के किसी प्रस्तुतकर्ता का किसी रूप में नाम या चित्रण अन्तर्विष्ट नहीं होगा और इसके अतिरिक्त आवरण पर यह कथन होगा कि यह इस धारा के अधीन बनाया गया आवरण रूपांतर है ।

(3) ऐसा ध्वन्यंकन करने वाला व्यक्ति, साहित्यिक या संगीतात्मक कृति में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं करेगा जो अधिकारों के स्वामी द्वारा या उसकी सहमति से पहले नहीं किया गया है या जो ध्वन्यंकन करने के प्रयोजन के लिए तकनीकी रूप से आवश्यक नहीं है :

परंतु ऐसे ध्वन्यंकन उस वर्ष की, जिसमें कृति का पहला ध्वन्यंकन किया गया था समाप्ति के पश्चात् पांच कलेंडर वर्ष के अवसान तक नहीं किया जाएगा ।

(4) ऐसे ध्वन्यंकनों की बाबत एक स्वामिस्व ऐसे प्रत्येक कलेण्डर वर्ष के दौरान, जिसमें प्रत्येक कृति की प्रतियां बनाई जाती हैं, उसकी न्यूनतम पाच हजार प्रतियों के लिए संदत्त किया जाएगा :

परंतु अपील बोर्ड, साधारण आदेश द्वारा, ऐसी कृतियों के संभावित परिचालन को ध्यान में रखते हुए किसी विशिष्ट भाषा या बोली में कृतियों की बाबत, निचला न्यूनतम नियत कर सकेगा ।

(5) ऐसे ध्वन्यंकन करने वाला व्यक्ति उसकी बाबत ऐसे रजिस्टर और लेखा बहियां, जिसमें विद्यमान स्टॉक का पूरा ब्यौरा हो, रखेगा जो विहित किए जाएं और ऐसे

ध्वन्यंकन से संबंधित सभी अभिलेखों और लेखा बहियों का अधिकारों के स्वामी या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता या प्रतिनिधि को निरीक्षण करने की अनुज्ञा देगा :

परंतु अपील बोर्ड के समक्ष इस आशय का परिवाद किए जाने पर कि अधिकारों के स्वामी ने इस धारा के अनुसरण में किए जाने के लिए तात्पर्यित किन्हीं ध्वन्यंकनों के लिए पूर्ण संदाय नहीं किया है, अपील बोर्ड का प्रथमदृष्टया यह समाधान हो जाता है कि परिवाद प्रामाणिक है, तो वह ध्वन्यंकन करने वाले व्यक्ति को इस बात का निदेश देते हुए एकपक्षीय आदेश पारित कर सकेगा कि वह उसकी अतिरिक्त प्रतियां बनाने से प्रविरत रहे और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, ऐसा और आदेश, जो वह ठीक समझे, कर सकेगा जिसके अंतर्गत स्वामिस्व के संदाय का आदेश भी है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए “आवरण रूपांतर” से इस धारा के अनुसार किया गया ध्वन्यंकन अभिप्रेत है ।

31घ. (1) ऐसा कोई प्रसारण संगठन, जो ऐसी किसी साहित्यिक या संगीतात्मक कृति और ध्वन्यंकन को, जिसका पहले प्रकाशन किया जा चुका है, प्रसारण के रूप में या प्रस्तुतीकरण के रूप में सार्वजनिक रूप से संसूचित करने की वांछा करता है, वह ऐसा इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए कर सकेगा ।

(2) प्रसारण संगठन कृति का प्रसारण करने के अपने आशय की पूर्व सूचना, जिसमें प्रसारण की अवधि और राज्यक्षेत्रीय सीमा क्षेत्र का उल्लेख हो, ऐसी रीति में देगा, जो विहित की जाए और प्रत्येक कृति में अधिकारों के स्वामी को अपील बोर्ड द्वारा नियत दर पर और रीति में स्वामिस्व का संदाय करेगा ।

(3) रेडियो प्रसारण के लिए स्वामिस्व की दरें टेलीविजन प्रसारण से भिन्न होंगी और अपील बोर्ड रेडियो प्रसारण तथा टेलीविजन प्रसारण के लिए पृथक्-पृथक् दरें नियत करेगा ।

(4) उपधारा (2) के अधीन स्वामिस्व की रीति और दर नियत करने में अपील बोर्ड प्रसारण संगठन से अधिकारों के स्वामियों को अग्रिम संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(5) कृति के रचयिताओं और मुख्य प्रस्तुतकर्ताओं के नाम, उस कृति को प्रस्तुतीकरण के रूप में संसूचित करने वाले प्रसारण संगठन की दशा के सिवाय, प्रसारण में घोषित किए जाएंगे ।

(6) किसी साहित्यिक या संगीतात्मक कृति में प्रसारण की सुविधा के लिए कृति को संक्षिप्त करने से भिन्न, नए सिरे से ऐसा कोई परिवर्तन, जो प्रसारण के प्रयोजन के लिए तकनीकी रूप से आवश्यक नहीं है, अधिकारों के स्वामियों की सहमति के बिना नहीं किया जाएगा ।

(7) प्रसारण संगठन—

(क) ऐसे अभिलेख और लेखाबहियां रखेगा और अधिकारों के स्वामियों को ऐसी रिपोर्टें और लेखे ऐसी रीति में देगा, जो विहित की जाए; और

(ख) अधिकारों के स्वामी को या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता अथवा प्रतिनिधि को ऐसे प्रसारण से संबंधित सभी अभिलेखों और लेखाबहियों का, ऐसी रीति में, निरीक्षण करने की अनुज्ञा देगा, जो विहित की जाए ।

साहित्यिक और संगीतात्मक कृतियों तथा ध्वन्यंकन के प्रसारण के लिए कानूनी अनुज्ञप्ति ।

(8) इस धारा की किसी बात से प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2012 के प्रारंभ के पूर्व जारी किसी अनुज्ञप्ति या किए गए किसी करार के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

भाषांतर करने और प्रकाशित करने की अनुज्ञप्ति।

32. (1) कोई व्यक्ति किसी साहित्यिक या नाट्य कृति का ऐसी कृति के प्रथम प्रकाशन से सात वर्ष की अवधि के पश्चात् किसी भाषा में कोई भाषांतर उत्पादित और प्रकाशित करने की अनुज्ञप्ति के लिए अपील बोर्ड को आवेदन कर सकेगा।

(1क) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति किसी साहित्यिक या नाट्य कृति के, जो भारतीय कृति नहीं है, प्रथम प्रकाशन से तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् ऐसी कृति के, भारत में साधारणतः प्रयोग की जाने वाली किसी भाषा में भाषांतर को, मुद्रित या पुनरुत्पादन के सदृश्य रूपों में, उत्पादित और प्रकाशित करने की अनुज्ञप्ति के लिए अपील बोर्ड को आवेदन कर सकेगा, यदि ऐसा भाषांतर अध्यापन, विद्यार्जन या अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है :

परंतु जहां ऐसा भाषांतर, किसी विकसित देश में साधारणतः प्रयोग न की जाने वाली भाषा में है वहां ऐसा आवेदन ऐसे प्रकाशन से एक वर्ष की अवधि के पश्चात् किया जा सकेगा।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक आवेदन ऐसे प्ररूप में किया जाएगा जैसा विहित किया जाए और उसमें कृति के भाषांतर की प्रति की प्रस्थापित फुटकर कीमत कथित होगी।

(3) इस धारा के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए प्रत्येक आवेदक अपने आवेदन के साथ प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार के पास ऐसी फीस जमा करेगा जैसी विहित की जाए।

(4) जहां इस धारा के अधीन अपील बोर्ड को आवेदन किया जाता है, वहां वह ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी विहित की जाए, आवेदन में उल्लिखित भाषा में कृति का भाषांतर उत्पादित और प्रकाशित करने की अनुज्ञप्ति, जो अनन्य अनुज्ञप्ति न हो, आवेदक को—

(i) इस शर्त के अधीन अनुदत्त कर सकेगा कि आवेदक, कृति के भाषांतर को ऐसी प्रतियों की बाबत जिनका सार्वजनिक विक्रय हुआ है, कृति में प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को, ऐसी दर से परिकलित स्वामिस्वों का संदाय करेगा जैसी अपील बोर्ड प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में विहित रीति से अवधारित करे; और

(ii) जहां ऐसी अनुज्ञप्ति उपधारा (1क) के अधीन किए गए आवेदन पर अनुदत्त की गई है वहां इस शर्त के अधीन रहते हुए भी अनुदत्त कर सकेगा कि अनुज्ञप्ति का विस्तार कृति के भाषांतर की प्रतियों के भारत के बाहर निर्यात पर नहीं होगा और ऐसे भाषांतर की प्रत्येक प्रति में उस भाषांतर की भाषा में इस बात की सूचना होगी कि प्रति केवल भारत में वितरण के लिए उपलब्ध है :

परंतु खंड (ii) की कोई बात सरकार या सरकार के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा ऐसे भाषांतर की, जो अंग्रेजी, फ्रेंच या स्पेनिश से भिन्न भाषा में है, प्रतियों के किसी अन्य देश को निर्यात को लागू नहीं होगी यदि—

(1) ऐसी प्रतियां भारत के बाहर निवास करने वाले भारत के नागरिकों को या भारत के बाहर ऐसे नागरिकों के किसी संगम को भेजी गई हैं; या

(2) ऐसी प्रतियां अध्यापन, विद्यार्जन या अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए, न कि किसी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने के लिए अभिप्रेत हैं; और

(3) दोनों में से किसी भी दशा में ऐसे निर्यात के लिए अनुज्ञा उस देश की सरकार द्वारा दी गई है :

परंतु यह और कि इस धारा के अधीन ऐसी कोई अनुज्ञप्ति उस दशा के सिवाय अनुदत्त नहीं की जाएगी जिसमें—

(क) आवेदन में उल्लिखित भाषा में कृति का भाषांतर, कृति में प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी या उस द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, उस कृति के प्रथम प्रकाशन से, यथास्थिति, सात वर्ष या तीन वर्ष या एक वर्ष के भीतर प्रकाशित नहीं किया गया है या यदि कोई भाषांतर ऐसे प्रकाशित किया गया है तो वह अप्राप्य हो गया है;

(ख) आवेदक ने अपील बोर्ड को समाधानप्रद रूप में साबित कर दिया है कि उसने प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी से ऐसा भाषांतर उत्पादित और प्रकाशित करने के प्राधिकार के लिए निवेदन किया था और उसे प्राधिकार देने से इंकार कर दिया गया था या कि वह प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी का अपनी ओर से सम्यक् तत्परता बरतने के पश्चात् पता लगाने में असमर्थ था ;

(ग) जहां आवेदक प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी का पता लगाने में असमर्थ था, उसने ऐसे प्राधिकार के लिए अपने निवेदन की एक प्रति रजिस्ट्रीकृत हवाई डाक द्वारा उस प्रकाशक को जिसका नाम कृति से प्रकट होता है, और उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन की दशा में ऐसे आवेदन से कम से कम दो मास पहले भेज दी थी;

(गग) उपधारा (1क) के अधीन आवेदन की दशा में (जो उसके परंतुक के अधीन आवेदन नहीं है) छह मास की या उस उपधारा के परंतुक के अधीन आवेदन की दशा में इस परंतुक के खंड (ख) के अधीन निवेदन किए जाने की तारीख से या जहां इस परंतुक के खंड (ग) के अधीन निवेदन की कोई प्रति भेजी गई है वहां ऐसी प्रति के भेजे जाने की तारीख से नौ मास की अवधि बीत गई है और आवेदन में वर्णित भाषा में कृति का भाषांतर कृति में प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, यथास्थिति, छह मास या नौ मास की उक्त अवधि के भीतर प्रकाशित नहीं किया गया है;

(गगग) उपधारा (1क) के अधीन किए गए किसी आवेदन की दशा में—

(i) ऐसी कृति के, जिसका भाषांतर किए जाने की प्रस्थापना है, लेखक का नाम और विशिष्ट संस्करण का नाम भाषांतरण की सभी प्रतियों पर मुद्रित किया जाता है;

(ii) यदि कृति मुख्यतः चित्रमय है तो धारा 32क के उपबंधों का भी अनुपालन किया जाता है ;

(घ) अपील बोर्ड का समाधान हो जाता है कि आवेदक कृति का सही भाषांतर उत्पादित और प्रकाशित करने के लिए सक्षम है और उसके पास प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को उन स्वामिस्वों का संदाय करने के साधन हैं जो उसे इस धारा के अधीन

संदेय हैं;

(ड) रचयिता ने कृति की प्रतियां परिचालन से वापस नहीं ले ली हैं; और

(च) कृति में प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को, जहां कहीं साध्य हो, सुनवाई का अवसर दिया जाता है ।

(4) कोई भी प्रसारण प्राधिकारी अपील बोर्ड को—

(क) उपधारा (1क) में निर्दिष्ट और पुनरुत्पादन के मुद्रित या सृश्य रूपों में प्रकाशित कृति के; या

(ख) व्यवस्थित शिक्षण के क्रियाकलाप के एक मात्र प्रयोजन के लिए निर्मित और प्रकाशित दृश्य-श्रव्य स्थायीकरण में निबद्ध किसी पाठ के, अध्यापन के प्रयोजनों के लिए, भाषांतर के प्रसारण के लिए या किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञों के लिए विशेषज्ञीय, तकनीकी या वैज्ञानिक अनुसंधान के परिणामों के प्रसार के लिए ऐसे भाषांतर के उत्पादन और प्रकाशन की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(5) उपधारा (2) से (4) के उपबंध, जहां तक वे उपधारा (1क) के अधीन आवेदन से संबंधनीय हैं; आवश्यक उपांतरणों सहित, उपधारा (5) के अधीन अनुज्ञप्ति के अनुदत्त किए जाने को लागू होंगे और ऐसी अनुज्ञप्ति उस दशा के सिवाय अनुदत्त नहीं की जाएगी जिसमें—

(क) वह भाषांतर विधिपूर्वक अर्जित किसी कृति से तैयार किया गया है;

(ख) वह प्रसारण ध्वनि और दृश्य अंकनों के माध्यम से तैयार किया गया है;

(ग) ऐसा अंकन आवेदक द्वारा या किसी अन्य प्रसारण अभिकरण द्वारा भारत में प्रसारण के प्रयोजन के लिए विधिपूर्वक और अनन्यतः तैयार किया गया है; और

(घ) उस भाषांतर और भाषांतर के प्रसारण का प्रयोग किन्हीं वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया गया है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “विकसित देश” से ऐसा देश अभिप्रेत है जो विकासशील देश नहीं है;

(ख) “विकासशील देश” से ऐसा देश अभिप्रेत है जिसे संयुक्त राष्ट्र की महासभा की प्रथा के अनुरूप तत्समय ऐसा माना गया है;

(ग) “अनुसंधान के प्रयोजन” के अंतर्गत औद्योगिक अनुसंधान के प्रयोजन, या निगमित निकायों द्वारा (जो सरकार के स्वामिस्व के या उसके द्वारा नियंत्रित निगमित निकाय नहीं हैं) या अन्य संगमों या वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों के निकाय द्वारा अनुसंधान के प्रयोजन नहीं हैं ;

(घ) “अध्यापन, अनुसंधान या विद्यार्जन के प्रयोजनों” के अंतर्गत—

(i) शिक्षा संस्थाओं में, जिनके अंतर्गत विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और शैक्षकीय संस्थाएं हैं, सभी स्तरों पर शिक्षा

कार्यकालाप के प्रयोजन हैं ;

(ii) संगठित शिक्षण कार्यकालाप के अन्य सभी प्रकारों के प्रयोजन हैं ।

32क. (1) जहां किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक या कलात्मक कृति के संस्करण के प्रथम प्रकाशन की तारीख से सुसंगत अवधि के अवसान के पश्चात् :—

(क) ऐसे संस्करण की प्रतियां भारत में उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं; या

(ख) ऐसी प्रतियां भारत में छह मास की अवधि तक जनसाधारण के लिए या व्यवस्थित शिक्षण क्रियाकालाप के संबंध में ऐसी कीमत पर विक्रय के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई हैं, जिसका उस कीमत से युक्तियुक्त रूप से संबंध है जो पुनरुत्पादन अधिकार के स्वामी द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा सदृश्य कृतियों के लिए सामान्यतः भारत में प्रभारित की जाती हैं,

वहां कोई भी व्यक्ति ऐसी कृति का पुनरुत्पादन करने और ऐसी कृति के मुद्रित रूप में या पुनरुत्पादन के सदृश्य रूपों में ऐसी कीमत पर, जिस पर ऐसे संस्करण का विक्रय किया जाता है या व्यवस्थित शिक्षण क्रियाकालाप के प्रयोजनों के लिए उससे कम कीमत पर प्रकाशित करने की अनुज्ञप्ति के लिए अपील बोर्ड को आवेदन कर सकेगा ।

(2) ऐसा प्रत्येक आवेदन ऐसे प्ररूप में किया जाएगा जो विहित किया जाए और उसमें पुनरुत्पादित की जाने वाली कृति की प्रस्थापित फुटकर कीमत कथित होगी ।

(3) इस धारा के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए प्रत्येक आवेदक अपने आवेदन के साथ प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार के पास ऐसी फीस जमा करेगा जो विहित की जाए ।

(4) जहां इस धारा के अधीन अपील बोर्ड को आवेदन किया जाता है वहां वह ऐसी जांच करने के पश्चात् जो विहित की जाए, आवेदन में उल्लिखित कृति के पुनरुत्पादन को उत्पादित और प्रकाशित करने की अनुज्ञप्ति, जो अनन्य अनुज्ञप्ति न हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए आवेदक को अनुदत्त कर सकेगा कि :—

(i) आवेदक, कृति के पुनरुत्पादन की ऐसी प्रतियों की बाबत, जिनका सार्वजनिक विक्रय हुआ है, कृति में प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को ऐसी दर से परिकलित स्वामिस्वों का संदाय करेगा जो अपील बोर्ड प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में विहित रीति से अवधारित करे;

(ii) इस धारा के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति का विस्तार कृति के पुनरुत्पादन की प्रतियों के भारत के बाहर निर्यात पर नहीं होगा और ऐसे पुनरुत्पादन की प्रत्येक प्रति में इस बात की सूचना होगी कि प्रति केवल भारत में वितरण के लिए उपलब्ध है :

परंतु ऐसी कोई अनुज्ञप्ति उस दशा में के सिवाय अनुदत्त नहीं की जाएगी जिसमें—

(क) आवेदक ने अपील बोर्ड के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया है कि उसने कृति में प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी से ऐसी प्रति को पुनरुत्पादित और प्रकाशित करने के प्राधिकार के लिए निवेदन किया था और उसे प्राधिकार देने से इंकार कर दिया गया था या कि वह अपनी ओर से सम्यक् तत्परता बरतने के पश्चात् प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी का पता लगाने में असमर्थ था;

कतिपय प्रयोजनों के लिए कृतियां पुनरुत्पादित और प्रकाशित करने के लिए अनुज्ञप्ति ।

(ख) जहां आवेदक प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी का पता लगाने में असमर्थ था, उसने ऐसे प्राधिकार के लिए रजिस्ट्रीकृत हवाई डाक द्वारा अपने निवेदन की एक प्रति उस प्रकाशक को, जिसका नाम कृति से प्रकट होता है अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन से कम से कम तीन मास पहले भेज दी थी;

(ग) अपील बोर्ड का समाधान हो जाता है कि आवेदक कृति के यथार्थ पुनरुत्पादन को पुनरुत्पादित और प्रकाशित करने के लिए सक्षम है और उसके पास प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को उन स्वामिस्वों का संदाय करने के साधन हैं जो उसे इस धारा के अधीन संदेय हैं;

(घ) आवेदक कृति को ऐसी कीमत पर पुनरुत्पादित और प्रकाशित करने का वचनबंध करता है जो अपील बोर्ड द्वारा नियत की जाए और जिसका उस कीमत से युक्तियुक्त रूप से संबंध हो, जो उन्हीं या समरूप विषयों पर वैसे ही स्तर की कृतियों के लिए सामान्यतः भारत में प्रभारित की जाती हैं;

(ङ) खंड (क) के अधीन निवेदन किए जाने की तारीख से या जहां निवेदन की प्रति खंड (ख) के अधीन भेजी गई है वहां प्रति भेजने की तारीख से प्रकृति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित या प्रौद्योगिकी की किसी कृति के पुनरुत्पादन और प्रकाशन के लिए आवेदन की दशा में छह मास की अवधि या किसी अन्य कार्य के पुनरुत्पादन और प्रकाशन के लिए आवेदन की दशा में तीन मास की अवधि बीत गई है और उस कृति के पुनरुत्पादन को कृति में प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी द्वारा या, उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, यथास्थिति, छह मास या तीन मास की उक्त अवधि के भीतर प्रकाशित नहीं किया गया है;

(च) जिस कृति को पुनरुत्पादित किया जाना प्रस्थापित है उसके रचयिता का नाम और विशिष्ट संस्करण का नाम पुनरुत्पादन की सभी प्रतियों पर मुद्रित किया जाता है;

(छ) रचयिता ने कृति की प्रतियों को परिचालन से वापस नहीं लिया है; और

(ज) जहां कहीं भी व्यवहार्य हो, कृति में प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को सुनवाई का अवसर दिया गया है ।

(5) किसी कृति का कोई भाषांतर पुनरुत्पादित और प्रकाशित करने के लिए इस धारा के अधीन कोई अनुज्ञप्ति उस दशा के सिवाय अनुदत्त नहीं की जाएगी जिसमें भाषांतर के अधिकार के स्वामी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा भाषांतर प्रकाशित कर दिया गया है और भाषांतर ऐसी भाषा में नहीं है जिसका भारत में साधारणतः प्रयोग किया जाता है ।

(6) इस धारा के उपबंध व्यवस्थित शिक्षण कार्यकलाप के एकमात्र प्रयोजन के लिए दृश्य-श्रव्य स्थायीकरण में निबद्ध किसी पाठ के पुनरुत्पादन और प्रकाशन या भारत में साधारणतः प्रयोग की जाने वाली भाषा में भाषांतर को भी लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी कृति के संबंध में “सुसंगत अवधि” से निम्नलिखित अवधि अभिप्रेत है—

(क) जहां आवेदन कथा-साहित्य, कविता, नाटक, संगीत या कला की या उससे

संबंधित किसी कृति के पुनरुत्पादन और प्रकाशन के लिए है वहां उस कृति के प्रथम प्रकाशन की तारीख से सात वर्ष;

(ख) जहां आवेदन प्रकृति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित या प्रौद्योगिकी की या उससे संबंधित किसी कृति के पुनरुत्पादन और प्रकाशन के लिए है वहां उस कृति के प्रथम प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष; और

(ग) किसी अन्य दशा में, उस कृति के प्रथम प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष ।

* * * * *

33क. (1) प्रत्येक प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी अपनी टैरिफ स्कीम ऐसी रीति में प्रकाशित करेगी, जो विहित की जाए ।

प्रतिलिप्यधिकार
सोसाइटियों द्वारा
टैरिफ स्कीम ।

(2) कोई ऐसा व्यक्ति, जो टैरिफ स्कीम से व्यथित है, अपील बोर्ड को अपील कर सकेगा, और यदि बोर्ड का ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, समाधान हो जाता है, तो वह ऐसे आदेश कर सकेगा जो उसमें किसी अयुक्तियुक्त तत्व, विषमता या असंगतता को दूर करने के लिए अपेक्षित हों :

परन्तु व्यथित व्यक्ति, प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी को ऐसी किसी फीस का, जो विहित की जाए और जो अपील बोर्ड को अपील करने के पूर्व देय हो गई हो, संदाय करेगा, और वह तब तक ऐसी फीस का संदाय करता रहेगा, जब तक अपील का विनिश्चय नहीं हो जाता है और बोर्ड, अपील का निपटारा होने तक ऐसी फीस के संग्रहण पर रोक लगाने का कोई आदेश जारी नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि अपील बोर्ड पक्षकारों को सुनने के पश्चात् अंतरिम टैरिफ नियत कर सकेगा और अपील का निपटारा होने तक व्यथित पक्षकारों को तदनुसार संदाय करने का निदेश दे सकेगा ।

* * * * *

50. अपील बोर्ड, प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार के या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर प्रतिलिप्यधिकारों के रजिस्टर में—

अपील बोर्ड द्वारा
रजिस्टर का
परिशोधन ।

(क) कोई ऐसी प्रविष्टि करके जो रजिस्टर में करनी गलती से रह गई हो, या

(ख) रजिस्टर में गलती से की गई या रह गई किसी प्रविष्टि को निकाल कर, या

(ग) रजिस्टर में किसी गलती या त्रुटि को ठीक करके, परिशोधन का आदेश दे सकेगा ।

* * * * *

53क. (1) किसी रंगचित्र, मूर्ति या रेखाचित्र की मूल प्रति के अथवा किसी साहित्यिक या नाट्यकृति या संगीतात्मक कृति की मूल पांडुलिपि के दस हजार रुपए से अधिक कीमत पर पुनः विक्रय की दशा में, ऐसी कृति का रचयिता, यदि वह धारा 17 के अधीन प्रतिलिप्यधिकार का प्रथम स्वामी था या उसके विधिक वारिस, ऐसी कृति में, प्रतिलिप्यधिकार के किसी समनुदेशन के होते हुए भी, इस धारा के उपबन्धों के अनुसार,

मूल प्रतियों के
पुनः विक्रय अंश
का अधिकार ।

ऐसी मूल प्रति या पांडुलिपि के पुनः विक्रय की कीमत में अंश प्राप्त करने के अधिकारी होंगे :

परन्तु ऐसा अधिकार, कृति में प्रतिलिप्यधिकार, की अवधि की समाप्ति पर अस्तित्व में नहीं रहेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अंश ऐसा होगा जो प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड नियत करे और इस निमित्त प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड का विनिश्चय अन्तिम होगा :

परन्तु प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड, कृति के भिन्न-भिन्न वर्गों के लिए भिन्न-भिन्न अंश नियत कर सकेगा :

परन्तु यह और कि किसी भी दशा में ऐसा अंश पुनः विक्रय की कीमत के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

(3) यदि इस धारा द्वारा प्रदत्त अधिकार के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड को निर्देशित किया जाएगा और जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

अध्याय 12

सिविल उपचार

परिभाषा ।

54. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो “प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी” पद के अन्तर्गत निम्नलिखित भी होंगे—

(क) कोई अनन्य अनुज्ञप्तिधारी;

(ख) किसी अनाम या छद्मनाम वाली साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक या कलात्मक कृति की दशा में उस कृति का प्रकाशक जब तक कि रचयिता का वास्तविक परिचय अथवा ऐसी किसी अनाम संयुक्त रचयिताओं की कृति या ऐसे नामों से प्रकाशित जो सब छद्मनाम हों संयुक्त रचयिताओं की कृति की दशा में रचयिताओं में से किसी का वास्तविक परिचय रचयिता और प्रकाशक द्वारा सार्वजनिक रूप से ज्ञात नहीं कर दिया जाता या अन्यथा उस रचयिता या उसके विधिक प्रतिनिधियों द्वारा अपील बोर्ड को समाधानप्रद रूप में सिद्ध नहीं कर दिया जाता ।

* * * * *

प्रतिलिप्यधिकार
रजिस्ट्रार और
अपील बोर्ड के
आदेशों के विरुद्ध
अपीलें ।

72. (1) प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार के किसी अन्तिम विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश या विनिश्चय की तारीख से तीन मास के अन्दर अपील बोर्ड को अपील कर सकेगा ।

(2) अपील बोर्ड के किसी ऐसे अन्तिम विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) के अधीन अपील में दिया गया विनिश्चय या आदेश न हो, ऐसे विनिश्चय या आदेश की तारीख से तीन मास के अन्दर उस उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा जिसकी अधिकारिता के अन्दर अपीलार्थी वास्तव में और स्वेच्छया निवास करता है या कारबार चलाता है अथवा अभिलाभ के लिए वैयक्तिक रूप से कार्य करता है :

परन्तु धारा 6 के अधीन अपील बोर्ड के विनिश्चय के विरुद्ध कोई ऐसी अपील नहीं होगी ।

(3) इस धारा के अधीन अपील के लिए उपबन्धित तीन मास की कालावधि परिकलित करने में वह समय अपवर्जित कर दिया जाएगा, जो उस आदेश की प्रमाणित प्रति या उस विनिश्चय का अभिलेख जिसके विरुद्ध अपील की गई है, अनुदत्त करने में लगा हो।

* * * * *

अध्याय 15

प्रकीर्ण

1908 का 5

74. निम्नलिखित बातों के बारे में प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार और अपील बोर्ड को वे शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को होती हैं, अर्थात् :—

- (क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा उसकी शपथ पर परीक्षा करना;
- (ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;
- (ग) शपथपत्र पर साक्ष्य लेना;
- (घ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;
- (ङ) किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई लोक अभिलेख या उसकी नकल की अपेक्षा करना;
- (च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।

स्पष्टीकरण—साक्षियों को हाजिर कराने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार या अपील बोर्ड की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं भारत के राज्यक्षेत्र की सीमाएं होंगी।

75. प्रत्येक आदेश जो किसी धन के संदाय के लिए इस अधिनियम के अधीन प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार या अपील बोर्ड द्वारा दिया गया हो या जो अपील बोर्ड के ऐसे किसी आदेश के खिलाफ किसी अपील में उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया हो, यथास्थिति, प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार, अपील बोर्ड या उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र पर सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जाएगा और उसी रीति से निष्पादनीय होगा जैसे ऐसे न्यायालय की डिक्री।

* * * * *

77. इस अधिनियम के अधीन नियुक्त प्रत्येक अधिकारी और अपील बोर्ड का प्रत्येक सदस्य भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा।

78. (1) * * * * *

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित सब विषयों या उनमें से किसी का उपबन्ध करने के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात् :—

* * * * *

(गअ) वह प्ररूप और रीति जिसमें कोई संगठन निःशक्त व्यक्तियों के लिए

प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार और अपील बोर्ड को सिविल न्यायालय की कतिपय शक्तियां प्राप्त होना।

प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार और अपील बोर्ड द्वारा पारित धन के संदाय के आदेशों का डिक्री के रूप में निष्पादित किया जाना।

कतिपय व्यक्तियों का लोक सेवक होना।

नियम बनाने की शक्ति।

अनिवार्य अनुज्ञप्ति के लिए अपील बोर्ड को आवेदन कर सकेगा और वह फीस जो धारा 31ख की उपधारा (1) के अधीन ऐसे आवेदन के साथ संलग्न की जा सकेगी;

* * * * *

(गगआ) वह फीस, जो धारा 33क की उपधारा (2) के अधीन प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड को अपील फाइल करने के पूर्व संदत्त की जानी होगी ;

* * * * *

(च) वे बातें जिनके सम्बन्ध में प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार और अपील बोर्ड को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी;

* * * * *

79. (1)

(2) जहां किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व कोई ऐसा कार्य किया है जिससे उसने किसी कृति के ऐसी रीति से जो उस समय विधिपूर्ण थी, पुनरुत्पादन या प्रस्तुतीकरण के सम्बन्ध में अथवा किसी कृति के पुनरुत्पादन या प्रस्तुतीकरण के प्रयोजन के लिए या उस दृष्टि से उस समय जबकि ऐसा पुनरुत्पादन या प्रस्तुतीकरण विधिपूर्ण होता, यदि यह अधिनियम प्रवृत्त न हुआ होता, कोई व्यय या दायित्व उपगत किए हैं, वहां इस धारा की कोई बात ऐसे कार्य के सम्बन्ध में या उससे उत्पन्न किन्हीं अधिकारों या हितों को जो उक्त तारीख को अस्तित्व में और मूल्यवान हों तब के सिवाय न तो घटाएगी और न उन्हें हानि पहुंचाएगी जबकि वह व्यक्ति जो इस अधिनियम के आधार से ऐसे पुनरुत्पादन या प्रस्तुतीकरण को निर्बंधित करने का हकदार हो जाता है ऐसा प्रतिकर, जैसा करार के अभाव में अपील बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाए, संदत्त करने के लिए, सहमत हो जाता है ।

* * * * *

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का अधिनियम संख्यांक 52) से उद्धरण

* * * * *

अध्याय 5ख

अग्रिम विनिर्णय

28ड. इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

* * * * *

(खक) “अपील प्राधिकरण” से आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 245ण के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

* * * * *

(च) “अध्यक्ष” से प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(छ) “सदस्य” से प्राधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है; और

निरसन, व्यावृत्तियां
और अंतःकालीन
उपबंध ।

परिभाषाएं ।

* * * * *

28डक. (1) बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन अग्रिम विनिर्णय देने के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा, सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त की पंक्ति के किसी अधिकारी को सीमाशुल्क अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगा :

अग्रिम विनिर्णय के लिए सीमाशुल्क प्राधिकरण ।

1961 का 43

परन्तु सीमाशुल्क अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी नियुक्त करने की तारीख तक, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 245ण के अधीन गठित विद्यमान अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अग्रिम विनिर्णय देने के लिए प्राधिकरण बना रहेगा ।

* * * * *

28च. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 245ण के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अग्रिम विनिर्णय देने के लिए प्राधिकरण होगा और उक्त प्राधिकरण इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करेगा :

अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण ।

परन्तु भारतीय राजस्व सेवा (सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क) से ऐसा सदस्य, जो बोर्ड का सदस्य होने के लिए अर्हित है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण का राजस्व सदस्य होगा ।

* * * * *

28टक. (1) बोर्ड द्वारा, अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या आवेदक, प्राधिकरण द्वारा पारित किसी विनिर्णय या आदेश के विरुद्ध, अपील प्राधिकरण को, ऐसे विनिर्णय या आदेश की संसूचना की तारीख से साठ दिन के भीतर, ऐसे प्ररूप और रीति में, विहित की जाए, अपील फाइल कर सकेगा :

अपील ।

परन्तु जहां अपील प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारणों से निवारित किया गया था, वहां वह ऐसी अपील फाइल करने के लिए तीस दिन की और अवधि अनुज्ञात कर सकेगा ।

(2) इस धारा के अधीन अपील के लिए, धारा 28झ और धारा 28ञ के उपबंध, यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे ।

28ठ. (1) प्राधिकरण को, प्रकटीकरण और निरीक्षण, तथा किसी व्यक्ति को हाजिर कराने और उसकी शपथ पर परीक्षा करने, कमीशन निकालने, लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों को पेश करने के लिए विवश करने से संबंधित अपनी शक्तियों का प्रायोग करने के प्रयोजन के लिए, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी ।

प्राधिकरण की शक्तियां ।

1908 का 5

1974 का 2

1860 का 45

(2) प्राधिकरण, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 के प्रयोजनों के लिए, किन्तु अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए नहीं, सिविल न्यायालय समझा जाएगा और प्राधिकरण के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में और

धारा 196 के प्रयोजन के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी ।

प्राधिकरण और
अपील प्राधिकरण
के लिए प्रक्रिया ।

28ड. (1) प्राधिकरण ऐसे प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो विहित की जाए ।

(2) अपील प्राधिकरण को, इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन उसकी शक्तियों और प्राधिकार के प्रयोग से उद्भूत सभी विषयों में अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी ।

* * * * *

पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम संख्यांक 39) से उद्धरण

* * * * *

परिभाषाएं और
निर्वचन ।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अपील बोर्ड” से धारा 116 में निर्दिष्ट अपील बोर्ड अभिप्रेत है;

* * * * *

(प) “विहित” से अभिप्रेत है,—

(अ) उच्च न्यायालय के समक्ष की कार्यवाहियों के संबंध में, उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित;

(आ) अपील बोर्ड के समक्ष की कार्यवाहियों के संबंध में, अपील बोर्ड द्वारा बनाए गए, नियमों द्वारा विहित; और

* * * * *

जहां पेटेंट
वास्तविक और
प्रथम आविष्कर्ता
के प्रति कपट
करके किसी अन्य
व्यक्ति द्वारा
अभिप्राप्त कर
लिया गया है वहां
वास्तविक और
प्रथम आविष्कर्ता
को पेटेंट का
अनुदान ।

52. (1) जहां पेटेंट इस आधार पर धारा 64 के अधीन प्रतिसंहत किया या है कि पेटेंट सदोष और अर्जीदार के या किसी ऐसे व्यक्ति के, जिससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन या जिसके माध्यम से वह दावा करता है, अधिकारों का उल्लंघन करके अभिप्राप्त किया गया था अथवा जहां प्रतिसंहरण की अर्जी में अपील बोर्ड या न्यायालय पेटेंट को प्रतिसंहत करने के बजाय, इस निष्कर्ष के फलस्वरूप कि ऐसे दावे या दावों के अन्तर्गत आने वाला आविष्कार अर्जीदार से अभिप्राप्त किया गया था, यह निदेश देता है कि पूर्ण विनिर्देश ऐसे दावे या दावों का अपवर्जन करके संशोधित किया जाए वहां अपील बोर्ड या न्यायालय अर्जीदार को सम्पूर्ण आविष्कार के या उसके ऐसे भाग के, जिसके बारे में न्यायालय का यह निष्कर्ष हो कि वह इस प्रकार प्रतिसंहत पेटेंट के बदले में पेटेंटधारी द्वारा सदोष अभिप्राप्त किया गया है या वह संशोधन द्वारा अपवर्जित किया गया है अनुदत्त किए जाने की अनुज्ञा, उसी कार्यवाही में पारित आदेश द्वारा, दे सकेगा ।

(2) जहां कोई ऐसा आदेश पारित किया जाता है वहां नियंत्रक, विहित रीति से अर्जीदार द्वारा निवेदन किए जाने पर, उसे—

(i) उन दशाओं में जिनमें अपील बोर्ड या न्यायालय सम्पूर्ण पेटेंट अनुदत्त किए जाने की अनुज्ञा देता है, उसी तारीख और संख्या वाला जो प्रतिसंहत पेटेंट की है, नया पेटेंट अनुदत्त करेगा;

(ii) उन दशाओं में जिनमें [अपील बोर्ड या न्यायालय] पेटेंट के केवल किसी भाग के अनुदत्त किए जाने की अनुज्ञा देता है, ऐसे भाग के लिए उसी तारीख वाला जो प्रतिसंहत पेटेंट की है और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, डाली गई संख्या

वाला नया पेटेन्ट अनुदत्त करेगा :

परन्तु नियंत्रक, ऐसे अनुदान की शर्त के रूप में, अर्जीदार से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह नियंत्रक के समाधानप्रद रूप में ऐसा नया और पूर्ण विनिर्देश फाइल करे जिसमें आविष्कार के उस भाग का वर्णन और दावा किया गया हो जिसके लिए पेटेन्ट अनुदत्त किया जाना है ।

* * * * *

58. (1) पेटेंट के प्रतिसंहरण के लिए अपील बोर्ड या उच्च न्यायालय के समक्ष की गई किसी कार्यवाही में, यथास्थिति, अपील बोर्ड या उच्च न्यायालय, धारा 59 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, पेटेंटधारी के अपने पूर्ण विनिर्देश को ऐसी रीति से और खर्च, विज्ञापन या अन्य बातों के संबंध में ऐसे निबंधनों के अधीन रहते हुए जो अपील बोर्ड या उच्च न्यायालय ठीक समझे, संशोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा और यदि प्रतिसंहरण के लिए की गई किसी कार्यवाही में अपील बोर्ड या उच्च न्यायालय यह विनिश्चय करता है कि पेटेंट अविधिमान्य है तो वह पेटेंट का प्रतिसंहरण करने के बजाय विनिर्देश को इस धारा के अधीन संशोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

अपील बोर्ड या उच्च न्यायालय के समक्ष विनिर्देश का संशोधन ।

(2) जहां इस धारा के अधीन किसी आदेश के लिए कोई आवेदन अपील बोर्ड या उच्च न्यायालय को किया जाता है वहां आवेदक उस आवेदन की सूचना नियंत्रक को देगा और नियंत्रक हाजिर होने का और सुने जाने का हकदार होगा तथा यदि अपील बोर्ड या उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार निर्देश दिया जाए तो वह हाजिर होगा ।

(3) अपील बोर्ड या उच्चा न्यायालय के ऐसे सभी आदेशों की प्रतिलिपियां, जिनके द्वारा विनिर्देश को संशोधन करने की पेटेंटधारी को अनुज्ञा दी गई है, अपील बोर्ड या उच्च न्यायालय द्वारा नियंत्रक को पारेषित की जाएगी, जो उनकी प्राप्ति पर रजिस्टर में उनकी प्रविष्टि कराएगा और उनका निर्देश अंकित कराएगा ।

59. (1) * * * * *

(2) जहां पेटेंट के अनुदान की तारीख के पश्चात् विनिर्देश या उससे संबंधित किन्हीं अन्य दस्तावेजों का कोई संशोधन, यथास्थिति, नियंत्रक द्वारा या अपील बोर्ड अथवा उच्च न्यायालय द्वारा अनुज्ञात किया जाता है, वहां—

विनिर्देश या आवेदन के संशोधन के बारे में अनुपूरक उपबन्ध ।

(क) वह संशोधन सभी प्रयोजनों के लिए विनिर्देश तथा उससे संबंधित अन्य दस्तावेजों का भाग समझा जाएगा ;

(ख) यह तथ्य कि विनिर्देश या उससे संबंधित किन्हीं अन्य दस्तावेजों का संशोधन कर दिया गया है, यथासंभवशीघ्रता से प्रकाशित किया जाएगा; और

(ग) आवेदक या पेटेंटधारी के संशोधन करने के अधिकार पर आक्षेप, कपट के आधार पर किए जाने के सिवाय, नहीं किया जाएगा ।

* * * * *

64. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए पेटेन्ट, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या उसके पश्चात् अनुदत्त किया गया हो, किसी हितबद्ध व्यक्ति की या केन्द्रीय सरकार की अर्जी पर अपील बोर्ड द्वारा या पेटेंट के अतिलंघन के किसी वाद में के किसी प्रतिदावे पर उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आधारों में से

पेटेंटों का प्रतिसंहरण ।

किसी आधार पर प्रतिसंहत किया जा सकेगा, अर्थात् :—

* * * * *

अपील बोर्ड द्वारा रजिस्टर की परिशुद्धि ।

71. (1) अपील बोर्ड किसी ऐसे व्यक्ति के आवेदन पर जो—

- (क) रजिस्टर में किसी प्रविष्टि की अविद्यमानता या लोप से; अथवा
- (ख) रजिस्टर में पर्याप्त हेतुक के बिना की गई किसी प्रविष्टि से; अथवा
- (ग) रजिस्टर में किसी प्रविष्टि के गलती से रह जाने से; अथवा
- (घ) रजिस्टर की किसी प्रविष्टि में किसी गलती या त्रुटि से,

व्यथित है, रजिस्टर में कोई प्रविष्टि करने, उसमें कोई फेरफार करने या उसे हटा देने के लिए ऐसा आदेश दे सकेगा जो वह ठीक समझे ।

(2) इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही में अपील बोर्ड ऐसे किसी प्रश्न का विनिश्चय कर सकेगा जो रजिस्टर की परिशुद्धि के संबंध में विनिश्चित करना आवश्यक या समीचीन है ।

(3) अपील बोर्ड को इस धारा के अधीन किए गए आवेदन की सूचना नियंत्रक को विहित रीति से दी जाएगी जो हाजिर होने का और आवेदन के संबंध में सुने जाने का हकदार होगा और यदि बोर्ड द्वारा इस प्रकार निदेश दिया जाए तो वह हाजिर होगा ।

(4) इस धारा के अधीन रजिस्टर में परिशुद्धि करने के लिए अपील बोर्ड द्वारा किए गए किसी आदेश में यह निदेश दिया जाएगा कि परिशुद्धि की सूचना की तामील नियंत्रक पर विहित रीति से की जाए जो ऐसी सूचना की प्राप्ति पर रजिस्टर में तदनुसार परिशुद्धि करेगा ।

* * * * *

अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा जानकारी, आदि का न दिया जाना ।

76. पेटेन्ट कार्यालय का कोई अधिकारी या कर्मचारी, उस दशा के सिवाय जब कि इस अधिनियम द्वारा या केन्द्रीय सरकार, अपील बोर्ड या नियंत्रक के लिखित निदेश के अधीन या न्यायालय के आदेश द्वारा उससे ऐसी अपेक्षा की जाए या उसे प्राधिकृत किया जाए—

- (क) ऐसे किसी विषय में जिसमें इस अधिनियम के अधीन के अधीन कोई कार्यवाही की जा रही है या की जा चुकी है, जानकारी नहीं देगा, अथवा
- (ख) इस अधिनियम के अधीन या के अधीन पेटेन्ट कार्यालय में दाखिल की जाने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात कोई दस्तावेज न तो तैयार करेगा और न उसके तैयार किए जाने में सहायता करेगा; अथवा
- (ग) पेटेन्ट कार्यालय के अभिलेखों की तलाशी नहीं लेगा ।

* * * * *

विनिर्देश की विधिमान्यता का प्रमाणपत्र और उसके अतिलघन के लिए पश्चात्वर्ती वादों के खर्च ।

113. (1) यदि, धारा 64 और धारा 104 के अधीन पेटेंट के प्रतिसंहरण के लिए, यथास्थिति, अपील बोर्ड या उच्च न्यायालय के समक्ष की किसी कार्यवाही में विनिर्देश के किसी दावे की विधिमान्यता का प्रतिवाद किया जाता है और वह दावा अपील बोर्ड या उच्च न्यायालय द्वारा विधिमान्य पाया जाता है तो अपील बोर्ड या उच्चा न्यायालय यह प्रमाणित कर सकेगा कि उस दावे की विधिमान्यता का उन कार्यवाहियों में प्रतिवाद किया

गया था और उसको मान लिया गया था ।

* * * * *

(3) इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह, यथास्थिति, अतिलंघन के वादों में की डिक्रियों या आदेशों से अपील की या प्रतिसंहरण की अर्जियों की सुनवाई करने वाले न्यायालयों या अपील बोर्ड को उसमें विनिर्दिष्ट मापमान पर खर्चों के लिए आदेश पारित करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

* * * * *

अध्याय 19

अपील बोर्ड को अपीलें

1999 का 47

116. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 83 के अधीन स्थापित अपील बोर्ड इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपील बोर्ड होगा और उक्त अपील बोर्ड इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त अधिकारिता, शक्ति और प्राधिकार का प्रयोग करेगा :

अपील बोर्ड ।

परन्तु इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपील बोर्ड के तकनीकी सदस्य के पास उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अर्हताएं होंगी ।

(2) कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तकनीकी सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब उसने—

(क) इस अधिनियम के अधीन नियंत्रक का पद कम से कम पांच वर्ष तक धारण किया हो या इस अधिनियम के अधीन कम से कम पांच वर्ष तक नियंत्रक के कृत्यों का प्रयोग किया हो; या

(ख) कम से कम दस वर्ष तक रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता के रूप में कृत्य किया हो और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में डिग्री या विज्ञान में मास्टर डिग्री या इसके समतुल्य डिग्री रखता हो, या

117. (1) केन्द्रीय सरकार अपील बोर्ड को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए अपेक्षित अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की प्रकृति और प्रवर्गों का अवधारण करेगी और अपील बोर्ड को उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने वह उचित समझे ।

अपील बोर्ड के कर्मचारिवृन्द ।

(2) अपील बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं ।

(3) अपील बोर्ड के अधिकारी और अन्य कर्मचारी अपने कृत्यों का निर्वहन अपील बोर्ड के अध्यक्ष के साधारण अधीक्षण के अधीन उस रीति से करेंगे जो विहित की जाए ।

117क. (1) * * * * *

अपील बोर्ड को अपीलें ।

(2) धारा 15, धारा 16, धारा 17, धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 25 की उपधारा (4), धारा 28, धारा 51, धारा 54, धारा 57, धारा 60, धारा 61, धारा 63, धारा 66, धारा 69 की उपधारा (3), धारा 78, धारा 84 की उपधारा (1) से उपधारा (5), धारा 85, धारा 88, धारा

91, धारा 92 और धारा 94 के अधीन नियंत्रक या केन्द्रीय सरकार के किसी विनिश्चय, आदेश या निदेश से कोई अपील, अपील बोर्ड को होगी ।

* * * * *

(4) प्रत्येक अपील नियंत्रक या केन्द्रीय सरकार के, यथास्थिति, विनिश्चय, आदेश या निदेश की तारीख से तीन मास के भीतर या उतने और समय के भीतर की जाएगी जो अपील बोर्ड, उसके द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार, अनुज्ञात करे ।

अपील बोर्ड की प्रक्रिया और शक्तियाँ ।

117ख. व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 84 की उपधारा (2) से उपधारा (6), धारा 87, धारा 92, धारा 95, और धारा 96 के उपबंध अपील बोर्ड को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन को लागू होते हैं ।

1999 का 47

न्यायालय आदि की अधिकारिता का वर्णन ।

117ग. धारा 117क की उपधारा (2) या धारा 117घ में विनिर्दिष्ट विषयों के संबंध में, किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी को कोई अधिकारिता, शक्तियाँ या प्राधिकार नहीं होगा या वह उनका प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा ।

अपील बोर्ड के समक्ष परिशोधन आदि के लिए आवेदन के लिए प्रक्रिया ।

117घ. (1) धारा 71 के अधीन अपील बोर्ड को धारा 64के अधीन अपील बोर्ड के समक्ष पेटेंट के प्रतिसंहरण के लिए और रजिस्टर के परिशोधन के परिशोधन के लिए आवेदन] किया गया आवेदन उस प्ररूप में होगा जो विहित किया जाए ।

(2) इस अधिनियम के अधीन पेटेंट से संबंधित अपील बोर्ड के प्रत्येक आदेश या निर्णय की एक प्रमाणित प्रति बोर्ड द्वारा नियंत्रक को सूचित की जाएगी और नियंत्रक बोर्ड के आदेश को प्रभावी करेगा और निदेश दिए जाने पर, उक्त आदेश के अनुसार रजिस्टर की प्रविष्टियों में संशोधन करेगा या रजिस्टर का परिशोधन करेगा ।

विधिक कार्यवाहियों में नियंत्रक की हाजिरी ।

117ङ. (1) नियंत्रक को निम्नलिखित में हाजिर होने और सुने जाने का अधिकार होगा :—

(क) अपील बोर्ड के समक्ष किसी ऐसी विधिक कार्यवाही में, जिसमें ईप्सित अनुतोष में रजिस्टर का परिवर्तन या परिशोधन सम्मिलित है अथवा जिसमें पेटेंट कार्यालय के व्यवहार से संबंधित कोई प्रश्न उठाया गया हो;

(ख) पेटेंट के अनुदान के लिए किसी आवेदन पर नियंत्रक के किसी आदेश से अपील बोर्ड को किसी अपील में—

(i) जिसका विरोध नहीं किया गया हो तथा नियंत्रक द्वारा उक्त आवेदन नामंजूर किया गया हो, या किन्हीं संशोधनों, उपांतरणों, शर्तों या परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, स्वीकार किया गया हो, या

(ii) जिसका विरोध किया गया हो और नियंत्रक यह समझता है कि उसकी हाजिरी लोकहित में आवश्यक है,

और नियंत्रक किसी मामले में, यदि अपील बोर्ड द्वारा वैसा निदेश दिया जाए, हाजिर होगा ।

(2) जब तक कि अपील बोर्ड अन्यथा निदेश न दे, नियंत्रक हाजिर होने की बजाय उसके द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित कथन प्रस्तुत कर सकेगा जिसमें विवादकाधीन विषय से संबंधित उसके समक्ष कार्यवाहियों की या उसके द्वारा दिए गए किसी विनिश्चय

के आधारों की, या ऐसे ही मामलों में पेटेंट कार्यालय की पद्धति की या विवाद्यों से सुसंगत और उसकी जानकारी में के अन्य विषयों की जिन्हें नियंत्रक आवश्यक समझे, ऐसी विशिष्टियां होंगी जिन्हें वह उचित समझे, और ऐसा कथन कार्यवाही में साक्ष्य होगा ।

117च. अपील बोर्ड के समक्ष इस अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियों में नियंत्रक के खर्चे बोर्ड के विवेकानुसार होंगे किन्तु नियंत्रक को किसी पक्षकार को खर्चों का संदाय करने के लिए आदेश नहीं दिया जाएगा ।

117छ. उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित नियंत्रक के किसी आदेश या विनिश्चय के विरुद्ध अपीलों के सभी मामले और अतिलंघन के लिए वादों में प्रतिदावे पर से भिन्न पेटेंट के प्रतिसंहरण और रजिस्टर के परिशोधन से संबंधित सभी मामले उस तारीख से अपील बोर्ड को अंतरित हो जाएंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचित की जाए और अपील बोर्ड ऐसे मामले में या तो नए सिरे या उस प्रक्रम से जिससे वह अंतरित किया गया है, कार्यवाही करेगा ।

117ज. अपील बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन उसके समक्ष की सभी कार्यवाहियों के संबंध में उनकी प्रक्रिया संचालन के बारे में, इस अधिनियम से सुसंगत नियम बना सकेगा ।

* * * * *

151. (1) प्रतिसंहरण के लिए अर्जी पर दिया गया उच्च न्यायालय या अपील बोर्ड का हर आदेश, जिसके अन्तर्गत किसी दावे की विधिमान्यता के प्रमाणपत्र प्रदान करने वाले आदेश है, उच्च न्यायालय या अपील बोर्ड द्वारा नियंत्रक को पारेषित किए जाएंगे जो रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि या उसके बारे में निर्देश करवाएगा ।

* * * * *

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबन्ध उस न्यायालय को भी लागू होंगे जिसको उन उपधाराओं में निर्दिष्ट यथास्थिति, अपील बोर्ड या न्यायालयों के विनिश्चयों के विरुद्ध अपीलों की जाती हैं ।

* * * * *

159. (1) (2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध करने के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात् :—

* * * * *

(xii) धारा 117 की उपधारा (2) के अधीन अपील बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें और वह रीति जिसमें उक्त धारा की उपधारा (3) के अधीन अपील बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे;

(xii) धारा 117क की उपधारा (3) के अधीन अपील करने के लिए प्ररूप

अपील बोर्ड के समक्ष कार्यवाहियों में नियंत्रक के खर्चे ।

लंबित कार्यवाहियों का अपील बोर्ड को अंतरण ।

अपील बोर्ड की नियम बनाने की शक्ति ।

न्यायालयों के आदेशों नियंत्रक को पारेषण ।

नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।

उसके सत्यापन की रीति और उसके साथ संदेय फीस;

(xii) धारा 117घ की उपधारा (1) के अधीन अपील बोर्ड को किए जाने वाले आवेदन का प्ररूप और उसमें सम्मिलित की जाने वाली विशिष्टियां;

* * * * *

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 55) से उद्धरण

* * * * *

अध्याय 5क

विमानपत्तन परिसरों के अप्राधिकृत अधिभोगियों, आदि की बेदखली

परिभाषाएं ।

28क. इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

* * * * *

(ड) “अधिकरण” से धारा 28झ की उपधारा (1) के अधीन स्थापित विमानपत्तन अपील अधिकरण अभिप्रेत है;

* * * * *

अप्राधिकृत अधिभोगियों द्वारा विमानपत्तन परिसर में छोड़ी गई संपत्ति का व्ययन ।

28ड. (1) जहां धारा 28घ के अधीन किसी विमानपत्तन परिसर से किन्हीं व्यक्तियों को बेदखल किया गया है, वहां बेदखली अधिकारी, उन व्यक्तियों को, जिनसे विमानपत्तन परिसर का कब्जा लिया गया है, दस दिन की सूचना देकर और कम से कम एक ऐसे समाचारपत्र में, जिसका उस परिक्षेत्र में परिचालन हो, प्रकाशन के पश्चात्, ऐसे परिसरों में पड़ी रह गई किसी संपत्ति को हटा सकेगा या हटवा सकेगा या उसका लोक नीलामी द्वारा व्ययन कर सकेगा ।

(2) जहां किसी संपत्ति का उपधारा (1) के अधीन विक्रय किया जाता है, वहां उसके विक्रय आगम, विक्रय के व्ययों और ऐसी रकम की, यदि कोई हो जो केंद्रीय सरकार या निगमित प्राधिकरण को किराए के बकाया या नुकसानी या खर्चों के कारण देय हो, कटौती करने के पश्चात्, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को सदंत किए जाएंगे, जो बेदखली अधिकारी को उसके हकदार प्रतीत होते हों :

परंतु जहां बेदखली अधिकारी इस बारे में विनिश्चय करने में असमर्थ है कि किस व्यक्ति या व्यक्तियों को शेष रकम का संदाय किया जाना चाहिए या उसको किन-किन व्यक्तियों में प्रभाजित किया जाना चाहिए तो वह ऐसे विवाद को अधिकरण को निर्दिष्ट कर सकेगा तथा उस पर अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा ।

* * * * *

अधिकरण की स्थापना ।

28झ. (1) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक अधिकरण की स्थापना करेगी जो “विमानपत्तन अपील अधिकरण” के नाम से ज्ञात होगा और वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करेगा ।

(2) अधिकरण में एक अध्यक्ष होगा (जिसे इस अधिनियम में इसके पश्चात्

अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में निर्दिष्ट किया गया है)।

(3) अधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा :

परंतु अधिकरण अपनी बैठकें ऐसे अन्य स्थानों पर भी कर सकेगा जो अधिकरण का अध्यक्ष, समय-समय पर, अधिकरण के समक्ष अपीलों का विनिश्चय करने में सुविधा को ध्यान में रखते हुए, विनिश्चित करे।

(4) अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति, केंद्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से की जाएगी।

(5) कोई व्यक्ति अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रहा हो या होने के लिए अर्हित न हो।

(6) अधिकरण का अध्यक्ष, उस तारीख से, जिसको वह अपना पदभार ग्रहण करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिए या जब तक वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस रूप में पद धारण करेगा।

(7) अधिकरण के अध्यक्ष को संदेय वेतन और भत्ते तथा उसकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं :

परंतु अधिकरण के अध्यक्ष के न तो वेतन और भत्तों में और न ही सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन किया जाएगा।

28अ. (1) अधिकरण का अध्यक्ष, केंद्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा :

त्यागपत्र और
हटाया जाना।

परंतु अधिकरण का अध्यक्ष, जब तक कि उसे केंद्रीय सरकार द्वारा उससे पहले पद त्याग करने के लिए अनुज्ञा नहीं दी जाती है, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास का अवसान होने तक या उसके पदोत्तरवर्ती के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त व्यक्ति द्वारा अपना पद ग्रहण कर लेने तक या उसकी पदावधि का अवसान होने तक, इनमें से जो भी पूर्वतम हो, अपना पद धारण करता रहेगा।

(2) अधिकरण का अध्यक्ष अपने पद से साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा ऐसी जांच किए जाने के पश्चात्, जिसमें ऐसे अध्यक्ष को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सूचना दे दी गई हो और उन आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दे दिया गया हो, केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए ऐसे आदेश से ही हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(3) केंद्रीय सरकार, अधिकरण के अध्यक्ष के कदाचार या असमर्थता का अन्वेषण करने के लिए प्रक्रिया, नियमों द्वारा, विनियमित कर सकेगी।

28अक. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अधिकरण के अध्यक्ष की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा की अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उस अधिनियम की धारा 184 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा :

अध्यक्ष की अर्हता,
सेवा के अन्य
निबंधन तथा
शर्तें।

परन्तु वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ से पूर्व नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों का इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होना इस प्रकार जारी रहेगा, मानो वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184 के उपबंध प्रवृत्त ही नहीं हुए थे ।

अधिकरण को अपीलें ।

28ट. (1) इस अध्याय के अधीन बेदखली अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस आदेश की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर, ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए, अधिकरण को अपील कर सकेगा :

परंतु अधिकरण, उक्त पंद्रह दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् किन्तु पूर्वोक्त तारीख से तीस दिन की अवधि के पश्चात् नहीं, कोई अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाए कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त हेतुक द्वारा निवारित किया गया था ।

(2) अधिकरण, उपधारा (1) के अधीन अपील प्राप्त होने पर, अपीलार्थी और बेदखली अधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वह ठीक समझे ।

(3) अधिकरण, अपील फाइल किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर अपील का निपटारा करेगा :

परंतु अधिकरण, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, पंद्रह दिन की अतिरिक्त अवधि के भीतर अपील का निपटारा कर सकेगा ।

(4) उपधारा (2) के अधीन पारित अधिकरण का कोई आदेश सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में निष्पादनीय होगा और उसका निष्पादन करने के लिए अधिकरण, उसकी प्रति अधिकारिता रखने वाले सिविल न्यायालय को भेजेगा, जो यथासंभव शीघ्र उसका निष्पादन इस प्रकार करेगा मानो वह आदेश, उस न्यायालय द्वारा पारित डिक्री हो ।

(5) उस तारीख से ही जिससे किसी विषय के संबंध में अधिकरण द्वारा इस अध्याय के अधीन कोई अधिकारिता, शक्तियां और प्राधिकार प्रयोक्तव्य होते हैं, किसी न्यायालय को (संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 तथा अनुच्छेद 227 के अधीन उच्च न्यायालय के सिवाय) ऐसे विषय के संबंध में कोई अधिकारिता, शक्तियां या प्राधिकार नहीं होगा या उसे उनका प्रयोग करने का अधिकार नहीं होगा ।

अधिकरण की शक्तियां प्रक्रिया ।

28ठ. (1) अधिकरण, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अधिकथित प्रक्रिया से आबद्ध नहीं होगा किन्तु नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों से मार्गदर्शित होगा और इस अधिनियम और केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए किन्हीं नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए अधिकरण को, अपनी प्रक्रिया अधिकथित करने और उसे विनियमित करने की शक्ति होगी जिसमें अपनी जांच के स्थानों और समयों को नियत करना तथा यह विनिश्चित करना कि वह खुला न्यायालय होगा या प्राईवेट, सम्मिलित है ।

1908 का 5

(2) अधिकरण को, इस अध्याय के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित विषयों के संबंध में वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् :—

1908 का 5

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए ।

1860 का 45

1974 का 2

(3) अधिकरण के समक्ष कोई कार्यवाही, भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत और धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी और अधिकरण को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के सभी प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

28ड. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अध्याय के अधीन किसी बेदखली अधिकारी या अधिकरण द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश अंतिम होगा और किसी वाद, आवेदन, निष्पादन या अन्य कार्यवाही में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा तथा इस अध्याय द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी कार्रवाई के संबंध में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई व्यादेश अनुदत्त नहीं किया जाएगा ।

आदेशों का अंतिम होना ।

28ड. (1) जो कोई किसी विमानपत्तन परिसर को विधिविरुद्धतया अधिभोग में रखता है वह कारावास से जिसकी अवधि छह वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा ।

इस अध्याय के अधीन अपराध ।

(2) जो कोई इस अध्याय के अधीन बेदखली अधिकारी या अधिकरण के किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, वह कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा ।

(3) यदि कोई व्यक्ति जिसे इस अध्याय के अधीन किसी विमानपत्तन परिसर से बेदखल कर दिया गया है, अधिभोग के प्राधिकार के बिना परिसर को पुनः अधिभोग में रखता है तो वह कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा ।

(4) न्यायालय, किसी व्यक्ति को उपधारा (3) के अधीन सिद्धदोष ठहराते समय, उस व्यक्ति को संक्षेपतः बेदखल करने का आदेश करेगा और वह इस अध्याय के अधीन की जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी बेदखली का भागी होगा ।

* * * * *

33. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए, अथवा प्राधिकरण के या उसके नियंत्रण के अधीन विमानपत्तन, सिविल अन्तःक्षेत्रों, हेलीपत्तन, हवाई पट्टी, वैमानिक संचार स्टेशनों या अन्य वस्तुओं में से किसी में किसी खराबी के परिणामस्वरूप किसी वायुयान या यान को हुए किसी नुकसान के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही प्राधिकरण के अथवा प्राधिकरण के किसी सदस्य या किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी या अधिकरण के अध्यक्ष के विरुद्ध न होगी ।

सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

नियम बनाने की
शक्ति ।

* * * * *

41. (1) * * * *

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे :—

* * * * *

(छvi) धारा 28झ की उपधारा (7) के अधीन अधिकरण के अध्यक्ष को संदेय वेतन और भत्ते तथा उसकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(छvii) धारा 28ञ की उपधारा (3) के अधीन अधिकरण के अध्यक्ष के कदाचार या असमर्थता के अन्वेषण की प्रक्रिया;

(छviii) धारा 28ट की उपधारा (1) के अधीन अपील का प्ररूप;

(छix) धारा 28ठ की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन कोई अन्य विषय;

* * * * *

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 47) से उद्धरण

* * * * *

परिभाषाएं और
निर्वचन ।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अपील बोर्ड” से धारा 83 के अधीन स्थापित अपील बोर्ड अभिप्रेत है ;

* * * * *

(घ) “न्यायपीठ” से अपील बोर्ड की न्यायपीठ अभिप्रेत है ;

* * * * *

(च) “अध्यक्ष” से अपील बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

* * * * *

(ट) “न्यायिक सदस्य” से, इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अपील बोर्ड का न्यायिक सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं ;

* * * * *

(ड) “सदस्य” से अपील बोर्ड का कोई न्यायिक सदस्य या कोई तकनीकी सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं ;

* * * * *

(ध) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

* * * * *

(यड) “अधिकरण” से, यथास्थिति, रजिस्ट्रार या वह अपील बोर्ड अभिप्रेत है जिसके समक्ष संपृक्त कार्यवाही लंबित है ;

(यच) “उपाध्यक्ष” से अपील बोर्ड का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है ;

* * * * *

10. (1) व्यापार चिह्न पूर्णतः या भागतः रंगों के किसी संयोजन तक मर्यादित किया जा सकेगा और जिस अधिकरण को व्यापार चिह्न के सुभिन्न स्वरूप का निश्चय करना है वह ऐसी मर्यादाओं को ध्यान में रखेगा ।

रंग के बारे में मर्यादा ।

(2) जहां कोई व्यापार चिह्न रंगों की मर्यादा के बिना रजिस्ट्रीकृत है वहां यह समझा जाएगा कि वह सभी रंगों के लिए रजिस्ट्रीकृत है ।

* * * * *

26. जहां नवीकरण के लिए फीस देने में असफलता पर व्यापार चिह्न को रजिस्टर से हटा दिया गया है वहां ऐसा होने पर भी हटाए जाने की तारीख के ठीक पश्चात्पूर्वी एक वर्ष के भीतर दूसरे व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी आवेदन के प्रयोजन के लिए उसे पहले से ही रजिस्टर में प्रविष्ट व्यापार चिह्न समझा जाएगा, जब तक कि अधिकरण का यह समाधान न हो जाए कि या तो—

नवीकरण के लिए फीस देने में असफलता पर रजिस्टर से हटाए जाने का प्रभाव ।

(क) जो व्यापार चिह्न हटाया गया है उसके हटाए जाने के ठीक पूर्ववर्ती दो वर्षों में उसका कोई सद्भावपूर्ण व्यापार उपयोग नहीं हुआ है ; या

(ख) जो व्यापार चिह्न हटाया गया है उसके किसी पूर्व उपयोग के कारण उस व्यापार चिह्न के, जो रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का विषय है, उपयोग से कोई धोखा या भ्रम उत्पन्न होने की संभाव्यता नहीं है ।

* * * * *

अध्याय 6

व्यापार चिह्न का उपयोग और रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता

46. (1) * * * * *

(3) अधिकरण उस मामले में, जिसमें उपधारा (1) लागू होती है, आवेदक से, विरोध या अपील से संबंधित किन्हीं कार्यवाहियों के खर्च की प्रतिभूति देने की अपेक्षा कर सकेगा और सम्यक्तः ऐसी प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर आवेदन को परित्यक्त मान सकेगा ।

निर्माण, आदि की जाने वाली कंपनी द्वारा व्यापार चिह्न का प्रस्तावित उपयोग ।

* * * * *

47. (1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न जिस माल या सेवाओं की बाबत वह रजिस्ट्रीकृत है उनमें से किसी बाबत भी व्यथित व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रार या अपील बोर्ड को विहित रीति में आवेदन करने पर निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर रजिस्टर से हटाया जा सकेगा, अर्थात् :—

अनुपयोग के आधार पर रजिस्टर से हटाना और मर्यादाएं अधिरोपित करना ।

* * * * *

परन्तु जहां आवेदक को धारा 12 के अधीन प्रश्नगत माल या सेवाओं की बाबत तद्रूप या निकट सादृश्य वाला व्यापार चिह्न रजिस्टर करने के लिए अनुज्ञात किया गया है या जहां अधिकरण की यह राय है कि उसे ऐसे व्यापार चिह्न को इस प्रकार रजिस्टर करने के लिए अनुज्ञात करना उचित होगा, उस दशा के सिवाय अधिकरण किसी माल या सेवाओं के संबंध में खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन आवेदन को नामंजूर कर सकेगा यदि यह दर्शाया जाता है कि, यथास्थिति, सुसंगत तारीख के पहले या सुसंगत अवधि के दौरान व्यापार चिह्न के तत्समय स्वत्वधारी द्वारा—

(i) उसी विवरण वाले माल या सेवाओं ; या

(ii) यथास्थिति, उसी विवरण वाले उस माल या सेवाओं से सहयुक्त माल या सेवाओं, जो ऐसे माल या सेवाएं हैं जिनके संबंध में व्यापार चिह्न रजिस्ट्रीकृत है,

की बाबत व्यापार चिह्न का सद्भावपूर्वक उपयोग किया गया है ।

(2) जहां किसी माल या सेवाओं के संबंध में जिसकी बाबत व्यापार चिह्न रजिस्ट्रीकृत है—

* * * * *

(ख) किसी व्यक्ति को धारा 12 के अधीन उन्हीं मालों के बारे में तद्रूप या निकट सादृश्य वाले व्यापार चिह्न किसी ऐसे रजिस्ट्रीकरण के अधीन जो विक्रय किए जाने वाले या अन्यथा व्यापार किए जाने वाले माल के संबंध में या इस प्रकार निर्यात किए जाने वाले माल के संबंध में या उसी स्थान में उपयोग के लिए या स्वीकार किए जाने के लिए उपलब्ध या उसी देश में उपयोग के लिए सेवाओं के संबंध में उपयोग के लिए विस्तारित है, रजिस्टर करने के लिए अनुज्ञात किया गया है, या अधिकरण की यह राय है कि उसे ऐसे व्यापार चिह्न को इस प्रकार रजिस्टर करने के लिए अनुज्ञात करना उचित होगा,

वहां उस व्यक्ति द्वारा विहित रीति में अपील बोर्ड या रजिस्ट्रार को आवेदन करने पर, अधिकरण पहले उल्लिखित व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण पर ऐसी मर्यादाएं अधिरोपित की जा सकेंगी जिन्हें वह यह सुनिश्चित करने के लिए उचित समझे कि रजिस्ट्रीकरण का ऐसे उपयोग तक विस्तार समाप्त हो जाएगा ।

* * * * *

सहयुक्त या सारतः तद्रूप व्यापार चिह्नों में से एक का उपयोग दूसरे के उपयोग के समतुल्य होना ।

55. (1) जहां इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न के उपयोग की किसी प्रयोजन के लिए साबित करने की अपेक्षा है वहां अधिकरण, यदि और जहां तक वह ठीक समझे, रजिस्ट्रीकृत सहयुक्त व्यापार चिह्न के उपयोग को या ऐसे परिवर्धनों या परिवर्तनों सहित व्यापार चिह्न के उपयोग को, जो उसकी पहचान को सारतः प्रभावित नहीं करता है, उस उपयोग के समतुल्य मान सकेगा जिसका साबित किया जाना अपेक्षित है ।

* * * * *

अध्याय 7

रजिस्टर की पुरिशुद्धि और शुद्धि

रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने या उसमें फेरफार करने और रजिस्टर को परिशोधित करने की शक्ति ।

57. (1) किसी व्यथित व्यक्ति द्वारा विहित रीति में अपील बोर्ड या रजिस्ट्रार को आवेदन करने पर अधिकरण किसी उल्लंघन या उसके संबंध में रजिस्टर में प्रविष्ट शर्त का पालन करने में असफलता के आधार पर व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के रद्द करने या इसमें फेरफार करने का ऐसा आदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

(2) रजिस्टर में किसी प्रविष्टि के अभाव या लोप से या रजिस्टर में बिना पर्याप्त कारण से की गई किसी प्रविष्टि से या रजिस्टर में गलती से रह गई किसी प्रविष्टि से या रजिस्टर में किसी प्रविष्टि में किसी गलती या त्रुटि से व्यथित व्यक्ति विहित रीति में अपील बोर्ड या रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकेगा, और अधिकरण उसकी प्रविष्टि करने,

उसे निकाल देने या उसमें फेरफार करने के लिए ऐसा आदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

(3) इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही में अधिकरण किसी ऐसे प्रश्न को विनिश्चित कर सकेगा जिसका रजिस्ट्रार के परिशोधन के संबंध में विनिश्चय करना आवश्यक या समीचीन हो ।

(4) अधिकरण, स्वप्रेरणा से, संपृक्त पक्षकारों को विहित रीति में सूचना देने के पश्चात् और उन्हें सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट आदेश दे सकता है ।

(5) अपील बोर्ड के रजिस्ट्रार को परिशोधित करने वाले आदेश में यह निदेश होगा कि परिशोधन की सूचना रजिस्ट्रार को विहित रीति में तामील की जाएगी और रजिस्ट्रार ऐसी सूचना की प्राप्ति पर रजिस्ट्रार को तदनुसार परिशोधित करेगा ।

* * * * *

71. (1) * * * * *

(3) इस धारा के अधीन किसी आवेदन को उक्त उपबंधों के अधीन निपटाने में, अधिकरण, जहां तक सुसंगत हो, ऐसी बातों पर, मानो वह आवेदन धारा 18 के अधीन आवेदन है और इस धारा के अधीन आवेदनों के लिए सुसंगत अन्य बातों पर भी ध्यान देगा जिसके अन्तर्गत यह सुनिश्चित करने की वांछनीयता भी है कि प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न में कोई ऐसा उपदर्शन होगा कि वह प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न है ।

प्रमाणीकरण
व्यापार चिह्नों के
रजिस्ट्रीकरण के
लिए आवेदन ।

* * * * *

अध्याय 11

अपील बोर्ड

83. केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक अपील बोर्ड की स्थापना करेगी जिसका नाम बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड होगा, जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उसे प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करेगा ।

अपील बोर्ड की
स्थापना ।

84. (1) अपील बोर्ड एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उतने अन्य सदस्यों से, जो केन्द्रीय सरकार ठीक समझे, मिलकर बनेगा और इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपील बोर्ड की अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग उसके न्यायपीठों द्वारा किया जा सकेगा ।

अपील बोर्ड की
संरचना ।

(2) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई न्यायपीठ एक न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी सदस्य से मिलकर बनेगा और वह ऐसे स्थान पर अधिविष्ट होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे ।

(3) उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष—

(क) उस न्यायपीठ के, जिसमें उसे नियुक्त किया जाता है न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य के कृत्यों के निर्वहन के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायपीठ के, यथास्थिति, न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य के कृत्यों का भी निर्वहन कर सकेगा ;

(ख) किसी सदस्य का एक न्यायपीठ से दूसरे न्यायपीठ में स्थानांतरण कर सकेगा ;

(ग) एक न्यायपीठ में नियुक्त उपाध्यक्ष, न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य को किसी अन्य न्यायपीठ के, यथास्थिति, न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए भी प्राधिकृत कर सकेगा ।

(4) जहां किन्हीं न्यायपीठों का गठन किया जाता है वहां केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अधिसूचना द्वारा न्यायपीठों में अपील बोर्ड के कारबार के वितरण से संबंधित उपबंध कर सकेगी और उन मामलों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिनका निपटारा प्रत्येक न्यायपीठ द्वारा किया जाएगा ।

(5) यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि कोई मामला न्यायपीठ को आबंटित कार्य के अंतर्गत आता है या नहीं, तो अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषणा की जाती है कि “मामला” पद के अंतर्गत धारा 91 के अधीन कोई अपील भी है ।

(6) यदि किसी मुद्दे पर किसी न्यायपीठ के सदस्यों के बीच मतभेद होता है तो वे उस मुद्दे या उन मुद्दों का, जिन पर मतभेद है उल्लेख करेंगे और अध्यक्ष को निर्देश करेंगे, जो मुद्दे या मुद्दों की या तो स्वयं सुनवाई करेगा या ऐसे मुद्दे या मुद्दों की सुनवाई के लिए उसे एक या अन्य सदस्यों को निर्दिष्ट करेगा और ऐसे मुद्दे या मुद्दों का विनिश्चय उन सदस्यों के बहुमत के अनुसार किया जाएगा जिन्होंने मामले की सुनवाई की है, जिनके अंतर्गत वे सदस्य भी हैं जिन्होंने उसकी पहली बार सुनवाई की थी ।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं ।

85. (1) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह—

(क) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है ; या

(ख) कम से कम दो वर्ष तक उपाध्यक्ष का पद धारण कर चुका हो ।

(2) कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह—

(क) कम से कम दो वर्ष तक न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य के रूप में पद धारण कर चुका हो ; या

(ख) भारतीय विधि सेवा का सदस्य रहा है और उस सेवा के ग्रेड-1 में या किसी उच्च पद पर कम से कम पांच वर्ष तक पद धारण कर चुका हो ।

(3) कोई व्यक्ति न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह—

(क) भारतीय विधि सेवा का सदस्य रहा है और उस सेवा के ग्रेड-1 में कम से कम तीन वर्ष तक पद धारण कर चुका है ; या

(ख) कम से कम दस वर्ष तक कोई सिविल न्यायिक पद धारण कर चुका हो ।

(4) कोई व्यक्ति तकनीकी सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह—

(क) कम से कम दस वर्ष तक इस अधिनियम या व्यापार और पण्य वस्तु चिह्न अधिनियम, 1958 (1958 का 43) के अधीन, या दोनों के अधीन अधिकरण के कृत्यों का निर्वहन कर चुका है और कम से कम पांच वर्ष तक कोई ऐसा पद धारण कर चुका है जो संयुक्त रजिस्ट्रार के पद से निम्न पंक्ति का न हो ; या

(ख) कम से कम दस वर्ष तक ऐसा अधिवक्ता रहा हो जिसे व्यापार चिह्न विधि में साबित विशेषज्ञीय अनुभव हो ।

(5) उपधारा (6) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी ।

(6) अध्यक्ष के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं ।

86. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य ऐसी तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करते हैं, पांच वर्ष की अवधि तक, या—

(क) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की दशा में पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, और

(ख) किसी सदस्य की दशा में बासठ वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस हैसियत में अपना पद धारण करेगा ।

87. (1) अध्यक्ष के पद पर उसकी मृत्यु, त्यागपत्र के कारण या अन्यथा कोई रिक्ति होने की दशा में, उपाध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम सदस्य, उस तारीख तक, जिसको कोई नया अध्यक्ष इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसी रिक्ति को भरने के लिए अपना पद ग्रहण करता है, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा ।

(2) जब अध्यक्ष अपनी अनुपस्थिति, बीमारी के कारण या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तो उपाध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम सदस्य, उस तारीख तक, जिसको अध्यक्ष अपना कर्तव्य ग्रहण करता है, अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा ।

88. (1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें (जिनके अंतर्गत पेंशन, उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति फायदे हैं) वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में जो, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख से ठीक पूर्व सरकारी सेवा में था, यह समझा जाएगा कि वह उस तारीख को, जिसको वह अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में पद ग्रहण करता है, सेवा से निवृत्त हो गया है ।

* * * * *

89. (1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य, भारत के राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा, अपना पद त्याग सकेगा :

परंतु अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य, जब तक कि उसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा उससे पहले अपना पद त्याग करने की अनुज्ञा नहीं दी जाती, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की समाप्ति तक या उसके पदोत्तरवर्ती के रूप में सम्यक्

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की पदावधि ।

कतिपय परिस्थितियों में उपाध्यक्ष या ज्येष्ठतम सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना ।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें ।

पदत्याग और हटाया जाना ।

रूप से नियुक्त व्यक्ति द्वारा अपना पद ग्रहण कर लेने तक या उसकी पदावधि समाप्त होने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, अपना पद धारण करता रहेगा ।

(2) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य अपने पद से, साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा ऐसी जांच किए जाने के पश्चात् जिसमें ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सूचना दे दी गई है और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किए गए आदेश से ही हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

(3) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (2) में निर्दिष्ट अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य के कदाचार या असमर्थता का अन्वेषण करने के लिए प्रक्रिया, नियमों द्वारा विनियमित कर सकेगी ।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की अर्हता, सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें ।

89क. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात क होते हुए भी वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उस अधिनियम की धारा 184 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा :

परन्तु वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ से पूर्व नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की का इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होना इस प्रकार जारी रहेगी, मानो वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184 के उपबंध प्रवृत्त ही नहीं हुए थे ।

अपील बोर्ड के कर्मचारिवृंद ।

90. (1) केन्द्रीय सरकार ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की किस्म और प्रवर्ग अवधारित करेगी जो अपील बोर्ड को उसके कृत्यों का निर्वहन करने में सहायता करने के लिए अपेक्षित हों और अपील बोर्ड के लिए ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी, जो वह ठीक समझे ।

(2) अपील बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं ।

(3) अपील बोर्ड के अधिकारी और अन्य कर्मचारी अध्यक्ष के साधारण अधीक्षण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन ऐसी रीति से करेंगे, जो विहित की जाए ।

अपील बोर्ड को अपील ।

91. (1) कोई ऐसा व्यक्ति जो इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन रजिस्ट्रार के आदेश या विनिश्चय से व्यथित है, अपील बोर्ड को ऐसी तारीख से, जिसको ऐसा आदेश या विनिश्चय जिसके विरुद्ध अपील की जा रही हो, अपील करने वाले ऐसे व्यक्ति को संसूचित किया गया है, तीन मास के भीतर अपील कर सकेगा ।

(2) यदि कोई अपील उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् की जाती है तो वह ग्रहण नहीं की जाएगी :

परन्तु कोई अपील उसके लिए विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् ग्रहण की जा सकेगी यदि अपीलार्थी अपील बोर्ड का यह समाधान कर देता है कि उसके पास विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त हेतुक था ।

(3) अपील बोर्ड को अपील विहित प्ररूप में की जाएगी और वह विहित रीति से सत्यापित होगी और उसके साथ उस आदेश या विनिश्चय की, जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है, एक प्रति और ऐसी फीस, जो विहित की जाए, होगी ।

1908 का 5

92. (1) अपील बोर्ड, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अधिकथित प्रक्रिया से आबद्ध नहीं होगा किन्तु नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगा और इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाए गए नियमों के ऐसे उपबंधों के अध्यधीन होगा । अपील बोर्ड को अपनी प्रक्रिया को, जिसके अंतर्गत सुनवाई का स्थान और समय नियत करना भी है, विनियमित करने की शक्ति होगी ।

अपील बोर्ड की प्रक्रिया और शक्तियां ।

1908 का 5

(2) अपील बोर्ड को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए वही शक्तियां होंगी जो निम्नलिखित विषयों की बाबत किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहिती होती हैं, अर्थात् :—

- (क) साक्ष्य ग्रहण करना ;
- (ख) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ;
- (ग) किसी लोक अभिलेख की अध्यपेक्षा करना ; और
- (घ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए ।

1860 का 45

(3) अपील बोर्ड के समक्ष कोई कार्यवाही, भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में और धारा 196 के प्रयोजन के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी और अपील बोर्ड को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के सभी प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

1974 का 2

93. कोई न्यायालय या अन्य प्राधिकारी धारा 91 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट विषयों के संबंध में किसी अधिकारिता, शक्तियों या प्राधिकार का प्रयोग नहीं करेगा या उसके प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा ।

न्यायालयों, आदि की अधिकारिता का वर्जन ।

94. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य पद धारण करना समाप्त होने पर, अपील बोर्ड या रजिस्ट्रार के समक्ष उपसंजात नहीं होंगे ।

अपील बोर्ड के समक्ष उपसंजात होने का वर्जन ।

95. इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, कोई अंतरिम आदेश (चाहे वह व्यादेश या रोक के रूप में हो या किसी अन्य रीति में) किसी अपील पर या उससे संबंधित किन्हीं कार्यवाहियों में तब तक नहीं किया जाएगा जब तक—

अंतरिम आदेश करने के बारे में शर्त ।

(क) ऐसी अपील की और ऐसे अंतरिम आदेश के लिए अभिवाक् के समर्थन में सभी दस्तावेजों की प्रतियां उस पक्षकार को नहीं दे दी जातीं जिसके विरुद्ध ऐसी अपील की गई है या किए जाने के लिए प्रस्थापित है ; और

(ख) ऐसे पक्षकार को इस विषय में सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया जाता ।

96. पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर और पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात् तथा उनमें से किसी को, जिसकी वह सुनवाई करना चाहे, सुने जाने के पश्चात् या ऐसी सूचना के बिना स्वप्रेरणा से, अध्यक्ष एक न्यायपीठ के समक्ष लंबित किसी मामले को किसी अन्य न्यायपीठ को, निपटारे के लिए, अंतरित कर सकेगा ।

मामलों को एक न्यायपीठ से दूसरे न्यायपीठ को अंतरित करने की अध्यक्ष की शक्ति ।

अपील बोर्ड के समक्ष परिशोधन, आदि, के लिए आवेदन की प्रक्रिया ।

97. (1) अपील बोर्ड को धारा 57 के अधीन किया गया रजिस्टर के परिशोधन के लिए आवेदन ऐसे प्ररूप में होगा जो विहित किया जाए ।

(2) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न से संबंधित अपील बोर्ड के प्रत्येक आदेश या निर्णय की प्रमाणित प्रति बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रार को संसूचित की जाएगी और रजिस्ट्रार बोर्ड के आदेश को प्रभावी करेगा तथा जब ऐसा निदेश दिया जाए तो, ऐसे आदेश के अनुसार रजिस्टर में प्रविष्टियों का संशोधन या परिशोधन करेगा ।

विधिक कार्यवाहियों में रजिस्ट्रार का उपसंजात होना ।

98. (1) रजिस्ट्रार को—

(क) अपील बोर्ड के समक्ष किन्हीं ऐसी विधिक कार्यवाहियों में उपसंजात होने और सुने जाने का अधिकार होगा, जिनमें अपेक्षित अनुतोष के अंतर्गत रजिस्टर में परिवर्तन या उसका परिशोधन है या जिनमें व्यापार चिह्न रजिस्ट्री की प्रथा से संबंधित कोई प्रश्न उद्भूत हुआ है ;

* * * * *

(2) जब तक कि अपील बोर्ड अन्यथा निदेश न दे, रजिस्ट्रार, उपसंजात होने के बदले अपने द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में एक कथन प्रस्तुत कर सकेगा, जिसमें वह विवादक विषय से संबंधित उसके समक्ष कार्यवाहियों के या उससे प्रभावित होने वाले उसके द्वारा दिए गए किसी विनिश्चय के आधारों के या उसी प्रकार के मामलों में व्यापार चिह्न रजिस्ट्री की प्रथा के या विवादकों से सुसंगत किसी अन्य विषय के संबंध में जो रजिस्ट्रार के रूप में उसकी जानकारी में है, उसके संबंध में ऐसी विशिष्टियां देगा जो वह उचित समझे और ऐसा कथन कार्यवाही में साक्ष्य होगा ।

अपील बोर्ड के समक्ष कार्यवाहियों में रजिस्ट्रार के खर्च ।

99. इस अधिनियम के अधीन अपील बोर्ड के समक्ष सभी कार्यवाहियों में रजिस्ट्रार के खर्च बोर्ड के विवेकाधिकार में होंगे किन्तु रजिस्ट्रार को किसी भी पक्षकार के खर्चों का संदाय करने का आदेश नहीं दिया जाएगा ।

लंबित कार्यवाहियों का अपील बोर्ड को अंतरण ।

100. रजिस्ट्रार के किसी आदेश या विनिश्चय के विरुद्ध अपीलों के सभी मामले और उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रजिस्टर की किसी परिशुद्धि से संबंधित सभी मामले, उस तारीख से अपील बोर्ड को अंतरित हो जाएंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाए और अपील बोर्ड इस विषय में या तो नए सिरे से कार्यवाही कर सकेगा या उस प्रक्रम से कर सकेगा जिससे ऐसा अंतरण हुआ था ।

* * * * *

जहां अभियुक्त रजिस्ट्रीकरण की अविधिमान्यता का अभिवचन करता है, वहां प्रक्रिया ।

113. (1) जहां धारा 103 या धारा 104 या धारा 105 के अधीन आरोपित अपराध रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न से संबंधित है और अभियुक्त यह अभिवचन करता है कि व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रीकरण अविधिमान्य है, वहां निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा—

(क) यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि ऐसा प्रतिवाद प्रथमदृष्टया मान्य है तो वह आरोप पर आगे कार्यवाही नहीं करेगा किन्तु अभियुक्त को इस आधार पर कि रजिस्ट्रीकरण अविधिमान्य है रजिस्टर को परिशोधित करने के लिए इस अधिनियम के अधीन अपील बोर्ड के समक्ष आवेदन फाइल करने के लिए समर्थ बनाने के लिए उस तारीख से, जिसको अभियुक्त का अभिवचन अभिलिखित किया गया है, तीन मास के लिए कार्यवाही स्थगित कर देगा ;

(ख) यदि अभियुक्त न्यायालय के समक्ष यह साबित कर देता है कि उसने ऐसे परिसीमित या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर, जैसा न्यायालय पर्याप्त हेतुक पर अनुज्ञात करे, ऐसा आवेदन कर दिया है तो अभियोजन में आगे कार्यवाही तब तक रोक दी जाएगी जब तक परिशोधन के ऐसे आवेदन का निपटारा नहीं हो जाता है ;

(ग) यदि तीन मास की अवधि के भीतर या ऐसे बढ़ाए गए समय के भीतर जो, न्यायालय अनुज्ञात करे, अभियुक्त रजिस्टर का परिशोधन करने के लिए अपील बोर्ड को आवेदन करने में असमर्थ रहता है तो न्यायालय मामले में आगे इस प्रकार कार्यवाही करेगा मानो रजिस्ट्रीकरण विधिमान्य है ।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अपराध के लिए परिवाद संस्थित करने के पहले प्रश्नगत व्यापार चिह्न से संबंधित रजिस्टर के परिशोधन के लिए आवेदन व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण की अविधिमान्यता के आधार पर पहले ही अधिकरण के समक्ष उचित रूप से कर दिया गया है और लंबित है, वहां न्यायालय पूर्वोक्त आवेदन का निपटारा होने तक अभियोजन में आगे कार्यवाहियां रोक देगा और जहां तक परिवादी अपने चिह्न के रजिस्ट्रीकरण का अवलम्ब लेता है, न्यायालय अभियुक्त के विरुद्ध आरोप, परिशोधन के आवेदन के परिणाम के अनुरूप अवधारित करेगा ।

* * * * *

123. इस अधिनियम के अधीन नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति और अपील बोर्ड का प्रत्येक सदस्य भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा ।

कतिपय व्यक्तियों का लोक सेवक होना ।

124. (1) जहां किसी व्यापार चिह्न के अतिलंघन के लिए किसी वाद में—

जहां व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता प्रश्नगत की जाती है वहां कार्यवाहियों का रोकना जाना, आदि ।

(क) प्रतिवादी यह अभिवचन करता है कि वादी के व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रीकरण अविधिमान्य है ; या

(ख) प्रतिवादी धारा 30 की उपधारा (2) के खण्ड (ड) के अधीन प्रतिवाद करता है और वादी प्रतिवादी के व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण की अविधिमान्यता का अभिवचन करता है,

वहां वाद का विचारण करने वाला न्यायालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् न्यायालय कहा गया है)—

(i) यदि वादी या प्रतिवादी के व्यापार चिह्न के संबंध में रजिस्टर के परिशोधन के लिए कोई कार्यवाहियां रजिस्ट्रार या अपील बोर्ड के समक्ष लंबित हैं, तो ऐसी कार्यवाहियों के अंतिम निपटारे के लम्बित रहने तक वाद को रोक देगा ;

(ii) यदि कोई ऐसी कार्यवाहियां लंबित नहीं हैं और न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि वादी या प्रतिवादी के व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण की अविधिमान्यता के बारे में अभिवचन प्रथमदृष्ट्या मान्य है तो उनके बारे में विवादक बनाएगा और मामले को विवादक बनाने की तारीख से तीन मास की अवधि के लिए स्थगित कर देगा जिससे कि संबद्ध पक्षकार रजिस्टर के परिशोधन के लिए अपील बोर्ड को आवेदन करने में समर्थ हो सके ।

* * * * *

कतिपय मामलों में रजिस्टर के परिशोधन के लिए आवेदन अपील बोर्ड को किया जाना ।

125. (1) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न के अतिलंघन के लिए वाद में वादी के व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता को प्रतिवादी द्वारा प्रश्नगत किया गया है या जहां ऐसे किसी वाद में प्रतिवादी ने धारा 30 की उपधारा (2) के खण्ड (ड) के अधीन प्रतिवाद किया है और वादी प्रतिवादी के व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता को प्रश्नगत करता है, वहां संबद्ध व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता के बारे में, विवादक रजिस्टर के परिशोधन के लिए आवेदन पर ही अवधारित किया जाएगा और धारा 47 या धारा 57 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा आवेदन अपील बोर्ड को किया जाएगा, न कि रजिस्ट्रार को ।

(2) जहां, उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, रजिस्टर के परिशोधन के लिए कोई आवेदन धारा 47 या धारा 57 के अधीन रजिस्ट्रार को किया जाता है, वहां यदि रजिस्ट्रार ठीक समझे तो, वह कार्यवाहियों के किसी भी प्रकम पर आवेदन को अपील बोर्ड को निर्दिष्ट कर सकेगा ।

कार्यवाही के पक्षकार मृत्यु ।

130. यदि कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही का (जो अपील बोर्ड या न्यायालय की कार्यवाही नहीं है) पक्षकार है, कार्यवाही के लंबित रहते हुए मर जाता है, तो रजिस्ट्रार, अनुरोध पर और उसके समाधानपर्यंत मृत व्यक्ति के हित का पारेषण साबित कर देने पर कार्यवाही में उसके स्थान पर उसके हित उत्तराधिकारी को प्रतिस्थापित कर सकेगा, या, यदि रजिस्ट्रार की यह राय है कि मृत व्यक्ति का हित, उत्तरजीवी पक्षकारों द्वारा पर्याप्त रूप से व्यपदेशित है तो वह उसके हित उत्तराधिकारी को प्रतिस्थापित किए बिना कार्यवाहियां चलाए रखने को अनुमति दे सकेगा ।

विधिमान्यता का प्रमाणपत्र ।

141. यदि अपील बोर्ड के समक्ष रजिस्टर के परिशोधन के लिए विधिक कार्यवाही में प्रतिवाद के पश्चात् व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता के बारे में विवादक पर विनिश्चय व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी के पक्ष में दिया गया है तो अपील बोर्ड इस प्रभाव का प्रमाणपत्र अनुदत्त कर सकेगा और यदि ऐसा प्रमाणपत्र अनुदत्त दिया जाता है, तो किसी पश्चात्पूर्ती विधिक कार्यवाही में, जिसमें उक्त विधिमान्यता प्रश्नगत होती है, उक्त स्वत्वधारी उस व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता को अपने पक्ष में अभिपुष्टि करने वाले अंतिम आदेश या निर्णय को अभिप्राप्त करने पर, जब तक उक्त अंतिम आदेश या निर्णय पर्याप्त कारणों से अन्यथा निदेश न दे, विधि-व्यवसायी और मुवक्किल के बीच अपने पूरे खर्च, प्रभार और व्ययों का हकदार होगा ।

व्यापार की प्रथा पर विचार किया जाना, आदि ।

144. व्यापार चिह्न से संबंधित किसी कार्यवाही में अधिकरण संबंधित व्यापार की प्रथाओं और अन्य व्यक्तियों द्वारा विधिसम्मत उपयोग किए जाने वाले किसी सुसंगत व्यापार चिह्न या व्यापार नाम या सज्जा का साक्ष्य ग्रहण करेगा ।

नियम बनाने की शक्ति ।

157. (1) (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा,

अर्थात् :—

* * * * *

(xxxix) धारा 90 की उपधारा (2) अधीन अपील बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें तथा वह रीति जिसमें अपील बोर्ड के अधिकारी और अन्य कर्मचारी धारा 90 की उपधारा (3) के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे ;

(xxxixii) धारा 91 की उपधारा (3) के अधीन अपील करने का प्ररूप, सत्यापन की रीति और संदेय फीस ;

(xxxixiii) वह प्ररूप जिसमें और वे विशिष्टियां जो धारा 97 की उपधारा (1) के अधीन अपील बोर्ड को आवेदन करने में सम्मिलित की जाएंगी ।

* * * * *

माल का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 48) से उद्धरण

* * * * *

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अपील बोर्ड” से व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1999 का 47) की धारा 83 के अधीन स्थापित अपील बोर्ड अभिप्रेत है ;

* * * * *

(त) “अधिकरण” से, यथास्थिति, रजिस्ट्रार या अपील बोर्ड अभिप्रेत है जिसके समक्ष संबंधित कार्यवाही लंबित है ।

* * * * *

19. जहां नवीकरण के लिए फीस का संदाय करने में असफल रहने पर भौगोलिक उपदर्शन को रजिस्टर से हटा दिया गया है वहां इस प्रकार उसे हटाए जाने की तारीख से अगले एक वर्ष के दौरान किसी अन्य भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी आवेदन के प्रयोजन के लिए उसे पहले से ही रजिस्टर में प्रविष्ट भौगोलिक उपदर्शन समझा जाएगा, जब तक कि अधिकरण का यह समाधान नहीं हो जाता है कि या तो—

(क) जो भौगोलिक उपदर्शन हटाया गया है उसका हटाए जाने के ठीक पूर्व दो वर्ष के भीतर कोई सद्भावपूर्ण उपयोग नहीं हुआ है ; या

(ख) जो भौगोलिक उपदर्शन हटाया गया है उसके पूर्ववर्ती उपयोग के कारण रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का विषय है, उसके उपयोग से कोई धोखा या भ्रम उत्पन्न होने की संभावना नहीं है ।

* * * * *

23. (1) किसी भौगोलिक उपदर्शन से संबंधित सभी विधिक कार्यवाहियों में, रजिस्ट्रार द्वारा इस अधिनियम के अधीन इस संबंध में अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र, जो भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री की मुद्रा के अधीन रजिस्टर में प्रविष्ट की प्रति है, उसकी विधिमान्यता का प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य होगा और सभी न्यायालयों में तथा अपील बोर्ड के समक्ष अतिरिक्त सबूत या मूल पेश किए बिना ग्राह्य होगा ।

* * * * *

परिभाषाएं और
निर्वचन ।

नवीकरण के लिए
फीस का संदाय
करने में असफलता
पर रजिस्टर से
हटाए जाने का
प्रभाव ।

रजिस्ट्रीकरण
विधिमान्यता का
प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य
होगा ।

अध्याय 6

रजिस्टर का परिशोधन और उसकी शुद्धि

रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने या उसमें फेरफार करने और रजिस्टर को परिशोधित करने की शक्ति ।

27. (1) किसी व्यथित व्यक्ति द्वारा अपील बोर्ड को या रजिस्ट्रार को विहित रीति से आवेदन करने पर, अधिकरण किसी उल्लंघन या उससे संबंधित रजिस्टर में प्रविष्ट शर्त का पालन करने में असफलता के आधार पर भौगोलिक उपदर्शन या प्राधिकृत उपयोगकर्ता के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने या उसमें फेरफार करने के लिए ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

(2) रजिस्टर में किसी प्रविष्टि के अभाव या लोप से या रजिस्टर में पर्याप्त कारण के बिना की गई किसी प्रविष्टि से या रजिस्टर में गलती से रह गई किसी प्रविष्टि से या रजिस्टर में किसी प्रविष्टि में किसी गलती या त्रुटि से व्यथित व्यक्ति अपील बोर्ड या रजिस्ट्रार को विहित रीति से आवेदन कर सकेगा और अधिकरण प्रविष्टि करने, उसे निकल देने या उसमें फेरफार करने के लिए ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

(3) इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही में अधिकरण किसी ऐसे प्रश्न का विनिश्चय कर सकेगा जिसका रजिस्टर के परिशोधन के संबंध में विनिश्चय करना आवश्यक या समीचीन है ।

(4) अधिकरण, स्वप्रेरणा से, संबद्ध पक्षकारों को विहित रीति से सूचना देने के पश्चात् और उन्हें सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट आदेश कर सकेगा ।

(5) अपील बोर्ड के रजिस्टर का परिशोधन करने वाले आदेश में यह निदेश होगा कि परिशोधन की सूचना रजिस्ट्रार पर विहित रीति से तामील की जाएगी जो ऐसी सूचना की प्राप्ति पर रजिस्टर का तदनुसार परिशोधन करेगा ।

* * * * *

अध्याय 7

अपील बोर्ड को अपीलें

अपील बोर्ड को अपीलें ।

31. (1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रजिस्ट्रार के किसी आदेश या विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति अपील बोर्ड को अपील उस तारीख से, जिसको ऐसा आदेश या विनिश्चय जिसके विरुद्ध अपील करने की ईप्सा की जा रही है, अपील करने वाले ऐसे व्यक्ति को सूचित किया जाता है, तीन मास के भीतर कर सकेगा ।

(2) यदि अपील उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के पर्यवसान के पश्चात् की जाती है तो ऐसी कोई अपील ग्रहण नहीं की जाएगी :

परन्तु अपील उसके लिए विनिर्दिष्ट अवधि के पर्यवसान के पश्चात् भी ग्रहण की जा सकेगी यदि अपीलार्थी अपील बोर्ड का यह समाधान कर देता है कि उसके पास विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपील न करने के लिए पर्याप्त कारण था ।

(3) अपील बोर्ड को अपील विहित प्ररूप में होगी और विहित रीति से सत्यापित की जाएगी तथा उसके साथ उस आदेश या विनिश्चय की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है,

एक प्रति और ऐसी फीस होगी जो विहित की जाए ।

32. किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी को धारा 31 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट विषयों के संबंध में कोई अधिकारिता, शक्ति या प्राधिकार नहीं होगा या वह उसका प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा ।

न्यायालयों, आदि की अधिकारिता का वर्जन ।

1999 का 47

33. व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 84 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4), उपधारा (5), उपधारा (6), धारा 87, धारा 92, धारा 95 और धारा 96 के उपबंध अपील बोर्ड को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उसे व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में लागू होते हैं ।

अपील बोर्ड की प्रक्रिया ।

34. (1) धारा 27 के अधीन बोर्ड को रजिस्टर के परिशोधन के लिए किया गया आवेदन ऐसे प्ररूप में होगा जो विहित किया जाए ।

अपील बोर्ड के समक्ष परिशोधन, आदि के लिए आवेदन की प्रक्रिया ।

(2) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन से संबंधित अपील बोर्ड के प्रत्येक आदेश या निर्णय की एक प्रमाणित प्रति अपील बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रार को संसूचित की जाएगी और रजिस्ट्रार बोर्ड के आदेश को प्रभावी करेगा तथा जब ऐसा निदेश दिया जाए तब ऐसे आदेश के अनुसार रजिस्टर में प्रविष्टियों का संशोधन करेगा या रजिस्टर का परिशोधन करेगा ।

35. (1) रजिस्ट्रार को,—

(क) अपील बोर्ड के समक्ष ऐसी किन्हीं विधिक कार्यवाहियों में, जिनमें ईप्सित अनुतोष में रजिस्टर का परिवर्तन या परिशोधन सम्मिलित है या जिनमें भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री की पद्धति से संबंधित कोई प्रश्न उठाया जाता है ;

विधिक कार्यवाहियों में रजिस्ट्रार का उपसंजात होना ।

(ख) भौगोलिक उपदर्शन या प्राधिकृत उपयोगकर्ता के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर रजिस्ट्रार के आदेश के विरुद्ध बोर्ड को की गई किसी अपील में,—

(i) जिसका विरोध नहीं किया जाता है और आवेदन को या तो रजिस्ट्रार द्वारा नामंजूर कर दिया जाता है या उसके द्वारा किन्हीं संशोधनों, उपांतरणों, शर्तों या सीमाओं के अधीन रहते हुए मंजूर किया जाता है, या

(ii) जिसका विरोध किया गया है और रजिस्ट्रार का विचार है कि उसका उपसंजात होना लोकहित में आवश्यक है,

उपसंजात होने और सुने जाने का अधिकार होगा तथा रजिस्ट्रार किसी मामले में यदि बोर्ड द्वारा ऐसा निदेश दिया जाए, उपसंजात होगा ।

(2) जब तक कि अपील बोर्ड अन्यथा निदेश न दे, रजिस्ट्रार, उपसंजात होने के बजाय, उसके द्वारा हस्ताक्षरित लिखित में, एक कथन प्रस्तुत कर सकेगा जिसमें ऐसी विशिष्टियां दी जाएंगी जो वह विवादग्रस्त विषय से संबंधित अपने समक्ष कार्यवाहियों या अपने द्वारा किए गए उसे प्रभावित करने वाले किसी विनिश्चय के आधारों या ऐसे ही मामलों में भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री की पद्धति या विवाद्यों से सुसंगत अन्य बातों और रजिस्ट्रार के रूप अपनी जानकारी के लिए उचित समझे, और ऐसा कथन कार्यवाही में साक्ष्य होगा ।

36. इस अधिनियम के अधीन अपील बोर्ड के समक्ष सभी कार्यवाहियों में, रजिस्ट्रार के खर्चे बोर्ड के विवेकाधीन होंगे किंतु रजिस्ट्रार को पक्षकारों में से किसी के खर्चों का संदाय करने के लिए आदेश नहीं दिया जाएगा ।

अपील बोर्ड के समक्ष कार्यवाहियों में रजिस्ट्रार के खर्चे ।

* * * * *

48. (1) जहां धारा 39 या धारा 40 या धारा 41 के अधीन आरोपित अपराध किसी रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन के संबंध में है और अभियुक्त यह अभिवचन करता है कि भौगोलिक उपदर्शन का रजिस्ट्रीकरण अविधिमान्य है वहां निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा—

जहां अभियुक्त द्वारा रजिस्ट्रीकरण की अविधिमान्यता का अभिवचन किया जाता है वहां प्रक्रिया ।

(क) यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि ऐसी प्रतिरक्षा प्रथमदृष्ट्या मान्य है तो वह आरोप पर आगे कार्यवाही नहीं करेगा किंतु अभियुक्त को इस अधिनियम के अधीन अपील बोर्ड के समक्ष रजिस्टर के परिशोधन के लिए आवेदन इस आधार पर कि रजिस्ट्रीकरण अविधिमान्य है, फाइल करने हेतु समर्थ बनाने के लिए कार्यवाही को उस तारीख से, जिसको अभियुक्त का अभिवाक् अभिलिखित किया जाता है, तीन मास के लिए स्थगित कर देगा ;

(ख) यदि अभियुक्त न्यायालय के समक्ष यह साबित कर देता है कि उसने ऐसा आवेदन इस प्रकार सीमित समय के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जिसे न्यायालय पर्याप्त कारण पर अनुज्ञात करे, कर दिया है, तो अभियोजन में आगे कार्यवाहियां तब तक के लिए रोक दी जाएंगी, जब तक परिशोधन के ऐसे आवेदन का निपटारा नहीं हो जाता ;

(ग) यदि अभियुक्त, तीन मास की अवधि के भीतर या ऐसे बढ़ाए गए समय के भीतर, जो न्यायालय द्वारा अनुज्ञात किया जाए, रजिस्टर के परिशोधन के लिए अपील बोर्ड को आवेदन करने में असफल रहता है तो न्यायालय मामले में आगे कार्यवाही इस प्रकार करेगा मानो रजिस्ट्रीकरण विधिमान्य हो ।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अपराध के लिए परिवाद संस्थित करने के पूर्व प्रश्नगत भौगोलिक उपदर्शन से संबंधित रजिस्टर के परिशोधन के लिए कोई आवेदन भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण की अविधिमान्यता के आधार पर अधिकरण को उचित रूप से किया गया है और उसके समक्ष लंबित है, वहां न्यायालय पूर्वोक्त आवेदन का निपटारा होने तक अभियोजन में आगे कार्यवाहियां रोक देगा और जहां तक परिवादी भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण का अवलंब लेता है, मजिस्ट्रेट अभियुक्त के विरुद्ध परिशोधन के लिए आवेदन के परिणाम के अनुरूप आरोप का अवधारण करेगा ।

* * * * *

57. (1) जहां भौगोलिक उपदर्शन के अतिलंघन के किसी वाद में प्रतिवादी यह अभिवचन करता है कि वादी से संबंधित भौगोलिक उपदर्शन का रजिस्ट्रीकरण अविधिमान्य है वहां वाद का विचारण करने वाला न्यायालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् न्यायालय कहा गया है),—

जहां भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता प्रश्नगत की जाती है वहां कार्यवाहियों का रोका जाना आदि ।

(क) यदि वादी या प्रतिवादी के भौगोलिक उपदर्शन के संबंध में रजिस्टर के परिशोधन के लिए कोई कार्यवाहियां रजिस्ट्रार या अपील बोर्ड के समक्ष लंबित हैं तो

ऐसी कार्यवाहियों के अन्तिम निपटारे तक वाद को रोक देगा ;

(ख) यदि ऐसी कार्यवाहियां लंबित नहीं हैं और न्यायालय का समाधान हो जाता है कि वादी या प्रतिवादी से संबंधित भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण की अविधिमान्यता के बारे में अभिवचन प्रथमदृष्ट्या मान्य है तो, उसके बारे में विवादक तैयार करेगा और विरचित करने की तारीख से तीन मास की अवधि के लिए वाद को स्थगित कर देगा जिससे संबद्ध पक्षकार रजिस्टर के परिशोधन के लिए अपील बोर्ड को आवेदन कर सके ।

* * * * *

कतिपय मामलों में रजिस्टर के परिशोधन के लिए आवेदन अपील बोर्ड को किया जाएगा ।

58. (1) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन के अतिलंघन के किसी वाद में वादी से संबंधित भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता प्रतिवादी द्वारा प्रश्नगत की जाती है या जहां किसी ऐसे वाद में वादी प्रतिवादी से संबंधित भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता को प्रश्नगत करता है वहां सम्बद्ध भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता के बारे में विवादक रजिस्टर के परिशोधन के लिए आवेदन पर ही अवधारित किया जाएगा और धारा 27 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा आवेदन अपील बोर्ड को किया जाएगा न कि रजिस्ट्रार को ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां रजिस्टर के परिशोधन के लिए आवेदन धारा 27 के अधीन रजिस्ट्रार को किया जाता है वहां रजिस्ट्रार, यदि वह ठीक समझे तो, कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर आवेदन को अपील बोर्ड को, निर्दिष्ट कर सकेगा ।

* * * * *

कार्यवाही के पक्षकार मृत्यु ।

63. यदि किसी ऐसे व्यक्ति की, जो इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही का पक्षकार है, (जो अपील बोर्ड या न्यायालय के समक्ष कार्यवाही नहीं है) कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो जाती है तो रजिस्ट्रार, अनुरोध पर, और मृत व्यक्ति के हित के हस्तांतरण के बारे में अपने समाधानपर्यन्त सबूत पर, कार्यवाही में उसके स्थान पर उसका हित उत्तराधिकारी प्रतिस्थापित कर सकेगा अथवा यदि रजिस्ट्रार की यह राय है कि मृत व्यक्ति के हित का प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप से उत्तरजीवी पक्षकारों द्वारा किया जाता है तो उसके हक उत्तराधिकारी के प्रतिस्थापन के बिना कार्यवाही को जारी रखने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा ।

* * * * *

विधिमान्यता का प्रमाणपत्र ।

72. यदि अपील बोर्ड के समक्ष रजिस्टर के परिशोधन के लिए विधिक कार्यवाही में प्रतिवाद के पश्चात्, भौगोलिक उपदर्शन या प्राधिकृत उपयोगकर्ता के रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता के प्रश्न पर विनिश्चय भौगोलिक उपदर्शन के, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत स्वामी या प्राधिकृत उपोगकर्ता के पक्ष में दिया गया है तो अपील बोर्ड उस आशय का एक प्रमाणपत्र अनुदत्त कर सकता है और यदि ऐसा प्रमाणपत्र अनुदत्त किया जाता है तो किसी पश्चात्वर्ती विधिक कार्यवाही में जिसमें उक्त विधिमान्यता प्रश्नगत हो, यथास्थिति, उक्त भौगोलिक उपदर्शन या प्राधिकृत उपयोगकर्ता के रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता की उसके पक्ष में पुष्टि करने वाले अंतिम आदेश या निर्णय अभिप्राप्त करके जब तक कि

उक्त अंतिम आदेश या निर्णय में पर्याप्त कारणों से अन्यथा निदेशित न हो, विधि व्यवसायी और मुवक्किल के बीच के पूर्ण खर्चों, प्रभारों और व्ययों के लिए हकदार होगा।

* * * * *

75. भौगोलिक उपदर्शन से संबंधित किसी कार्यवाही में अधिकरण संबंधित व्यापार की प्रथाओं और अन्य व्यक्तियों द्वारा वैध रूप से उपयोग किए जाने वाले किसी सुसंगत भौगोलिक उपदर्शन को साक्ष्य में स्वीकार करेगा।

व्यापार की प्रथाओं आदि पर विचार किया जाना।

* * * * *

87. (1) * * * *

नियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

* * * * *

(ढ) धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन अपील करने का प्ररूप, सत्यापन की रीति और संदेय फीस ;

* * * * *

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का अधिनियम संख्यांक 53) से उद्धरण

* * * * *

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं।

* * * * *

(घ) “अध्यक्ष” से अधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

* * * * *

(ढ) “न्यायिक सदस्य” से धारा 55 की उपधारा (1) के अधीन इस रूप में नियुक्त अधिकरण का कोई सदस्य अभिप्रेत है ;

(ण) “सदस्य” से अधिकरण का न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है ;

* * * * *

(थ) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

* * * * *

(म) “अधिकरण” से धारा 54 के अधीन स्थापित पौधा किस्म संरक्षण अपील अधिकरण अभिप्रेत है ;

(य) “तकनीकी सदस्य” से अधिकरण का ऐसा सदस्य अभिप्रेत है जो न्यायिक सदस्य नहीं है ;

* * * * *

फीस से छूट ।

44. कोई कृषक या कृषकों का समूह अथवा ग्रामीण समुदाय इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन प्राधिकरण या रजिस्ट्रार या अधिकरण या उच्च न्यायालय के समक्ष किसी कार्रवाई में कोई फीस संदाय करने का दायी नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी “कार्रवाई के लिए फीस” में इस अधिनियम के अधीन या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी दस्तावेज का निरीक्षण करने या किसी विनिश्चय या आदेश अथवा दस्तावेज की प्रति अभिप्राप्त करने के लिए संदेय कोई फीस सम्मिलित है ।

* * * * *

अध्याय 8

पौधा किस्म संरक्षण अपील अधिकरण

अधिकरण ।

54. केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करने के लिए एक अधिकरण की स्थापना करेगा जिसे पौधा किस्म संरक्षण अपील अधिकरण कहा जाएगा ।

अधिकरण की संरचना ।

55. (1) अधिकरण एक अध्यक्ष और उतने न्यायिक सदस्यों तथा तकनीकी सदस्यों से मिलकर बनेगा जितने केन्द्रीय सरकार नियुक्त करना ठीक समझे ।

(2) न्यायिक सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जो भारत के राज्यक्षेत्र में कम-से-कम दस वर्ष तक कोई न्यायिक पद धारण कर चुका है या जो भारतीय विधि सेवा का सदस्य रहा है और जिसने उस सेवा की श्रेणी-2 में कोई पद या कोई समतुल्य या उच्चतर पद कम-से-कम तीन वर्ष तक धारण किया है या जो कम-से-कम बारह वर्ष तक अधिवक्ता रहा है ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए—

(i) उस अवधि की संगणना करने में, जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने भारत के राज्यक्षेत्र में न्यायिक पद धारण किया है, कोई न्यायिक पद उसके द्वारा धारित करने के पश्चात् की ऐसी कोई अवधि सम्मिलित होगी जिसके दौरान व्यक्ति अधिवक्ता रहा है या किसी अधिकरण के सदस्य का पद अथवा संघ या किसी राज्य के अधीन विधि के विशेष ज्ञान की अपेक्षा करने वाला कोई पद धारित किया है ;

(ii) उस अवधि की संगणना करने में, जिसके दौरान व्यक्ति अधिवक्ता रहा है, ऐसी कोई अवधि सम्मिलित होगी जिसके दौरान उस व्यक्ति ने न्यायिक पद या किसी अधिकरण के सदस्य का पद अथवा उसके अधिवक्ता बन जाने के पश्चात् संघ या किसी राज्य के अधीन विधि के विशेष ज्ञान की अपेक्षा करने वाला कोई पद धारित किया है ।

(3) तकनीकी सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जो पौधा प्रजनन और आनुवंशिकी के क्षेत्र में विख्यात कृषि विज्ञानी है और उसके पास कम से कम बीस वर्ष का पौधा किस्म या बीज विकास क्रियाकलाप के संबंध में कार्रवाई करने का अनुभव है या जिसने केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में भारत सरकार के संयुक्त सचिव के समतुल्य पौधा किस्म या

बीज विकास के संबंध में कार्रवाई करने वाला पद कम से कम तीन वर्ष तक धारण किया है और उसके पास पौधा प्रजनन और आनुवंशिकी के क्षेत्र में विशेष ज्ञान है ।

(4) केन्द्रीय सरकार अधिकरण के किसी न्यायिक सदस्य को उसका अध्यक्ष नियुक्त करेगी ।

(5) केन्द्रीय सरकार अधिकरण के किसी सदस्य को उसका ज्येष्ठ सदस्य नियुक्त कर सकेगी ।

(6) ज्येष्ठ सदस्य या कोई सदस्य अध्यक्ष की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और उसके ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो अध्यक्ष द्वारा, साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं ।

56. (1) अपील, विहित अवधि के भीतर—

अधिकरण को अपीलें ।

(क) किसी किस्म के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित प्राधिकरण या रजिस्ट्रार के आदेश या विनिश्चय ; या

(ख) किसी किस्म के अभिकर्ता या अनुज्ञप्तिधारी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के संबंध में रजिस्ट्रार का आदेश या विनिश्चय ; या

(ग) फायदे में हिस्सा बंटाने के दावे के संबंध में प्राधिकरण का आदेश या विनिश्चय ; या

(घ) अनिवार्य अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण या अनिवार्य अनुज्ञप्ति के उपांतरण के संबंध में प्राधिकरण के आदेश या विनिश्चय; या

(ङ) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रतिकर के संदाय के संबंध में प्राधिकरण के आदेश या विनिश्चय,

के विरुद्ध अधिकरण को की जाएगी ।

* * * * *

(3) इस धारा के अधीन अपील का निपटारा करने में अधिकरण को कोई भी ऐसा आदेश करने की शक्ति होगी जो प्राधिकरण या रजिस्ट्रार इस अधिनियम के अधीन कर सकता है ।

57. (1) अधिकरण, अपील के दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

अधिकरण के आदेश ।

(2) अधिकरण आदेश की तारीख के तीस दिन के भीतर किसी भी समय, अभिलेख में प्रकट भूल का परिशोधन करने की दृष्टि से उपधारा (1) के अधीन अपने द्वारा पारित किसी आदेश का संशोधन कर सकेगा और यदि भूल को अपीलार्थी या विरोधी पक्षकार द्वारा उसकी जानकारी में लाया जाता है तो ऐसा संशोधन कर सकेगा ।

(3) प्रत्येक अपील में, अधिकरण, जहां यह संभव हो, ऐसी अपील की, अपील फाइल करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर सुनवाई करेगा और उसका विनिश्चय करेगा ।

(4) अधिकरण इस धारा के अधीन पारित किन्हीं आदेशों की एक प्रति रजिस्ट्रार को भेजेगा ।

(5) इस अधिनियम के अधीन अधिकरण के आदेश सिविल न्यायालय की डिफ्री के रूप में निष्पादनीय होंगे ।

58. (1) अधिकरण की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन, अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा उसके सदस्यों में से गठित न्यायपीठों द्वारा किया जा सकेगा ।

अधिकरण की प्रक्रिया ।

(2) न्यायपीठ एक न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी सदस्य से मिलकर बनेगी ।

(3) यदि न्यायपीठ के सदस्यों में किसी मुद्दे पर मतभेद हो तो वे उस मुद्दे या मुद्दों का कथन करेंगे जिन पर उनका मतभेद है और मामले को एक या अधिक अन्य सदस्यों द्वारा ऐसे मुद्दे या मुद्दों पर सुनवाई के लिए अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाएगा और ऐसे मुद्दे या मुद्दों का विनिश्चय ऐसे सदस्यों की, जिन्होंने उस मामले की सुनवाई की है, जिसके अंतर्गत वे भी हैं जिन्होंने प्रथमतः उसकी सुनवाई की थी, बहुसंख्या की राय के अनुसार किया जाएगा ।

(4) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अधिकरण को उसकी शक्तियों के प्रयोग या उसके कृत्यों के निर्वहन से उद्भूत सभी विषयों में, जिसके अंतर्गत वे स्थान भी हैं जहां न्यायपीठ अपनी बैठकें करेंगी स्वयं अपनी प्रक्रिया और उसकी न्यायपीठों की प्रक्रिया का विनियमन करने की शक्ति होगी ।

(5) अधिकरण को अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए वे सभी शक्तियां होंगी जो धारा 11 के अधीन रजिस्ट्रार में निहित हैं और अधिकरण के समक्ष कार्यवाही, भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में और धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी और अधिकरण दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के सभी प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

1860 का 45

1974 का 2

(6) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी अंतरिम आदेश (चाहे व्यादेश या रोकदेश के रूप में हो या किसी अन्य रीति में हो) किसी अपील में या उससे संबंधित किसी कार्यवाही में तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि—

(क) ऐसी अपील और ऐसे अंतरिम आदेश की दलील के समर्थन में सभी दस्तावेजों की प्रतियां उस पक्षकार को नहीं दे दी जाती हैं जिसके विरुद्ध ऐसी अपील की गई है या किए जाने के लिए प्रस्तावित है ;

(ख) ऐसे पक्षकार को उस मामले में सुने जाने का अवसर नहीं दे दिया जाता है ।

59. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, धारा 54 के अधीन अधिकरण की स्थापना होने तक, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 83 के अधीन स्थापित बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड इस अधिनियम के अधीन अधिकरण को प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का इस उपांतरण के अधीन रहते हुए प्रयोग करेगा कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए गठित बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड की किसी पीठ में, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 84 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट तकनीकी सदस्य के लिए,

1999 का 47

संक्रमणकालीन उपबंध ।

तकनीकी सदस्य इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किया जाएगा और उसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए धारा 84 की उपधारा (2) के अधीन पीठ का गठन करने के लिए तकनीकी सदस्य समझा जाएगा ।

* * * * *

अधिकारिता का वर्जन ।

89. ऐसे किसी विषय की बाबत जिसका प्राधिकरण या रजिस्ट्रार या अधिकरण इस अधिनियम या इसके अधीन अवधारण करने के लिए सशक्त है, किसी सिविल न्यायालय को अधिकारिता नहीं होगी ।

* * * * *

राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 (2003 का अधिनियम संख्यांक 13) से उद्धरण

* * * * *

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
(क) अधिकरण के संबंध में “नियत दिन” से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन ऐसा अधिकरण स्थापित किया जाता है ;

* * * * *

(ठ) “अधिकरण” से धारा 5 की उपाधारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण अभिप्रेत है ;

* * * * *

अध्याय 2

राजमार्ग प्रशासनों और अधिकरणों की स्थापना, आदि

* * * * *

अधिकरणों की स्थापना ।

5. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन ऐसे अधिकरण को प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण के नाम से ज्ञात एक या अधिक अधिकरणों की स्थापना कर सकेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना में राजमार्ग की सीमाएं, जिनके भीतर या राजमार्ग की लंबाई, जिस पर अधिकरण अपने समक्ष फाइल की गई अपीलों को ग्रहण करने और उनका विनिश्चय करने के लिए अधिकारिता का प्रयोग कर सकेगा, भी विनिर्दिष्ट करेगी ।

* * * * *

अधिकरण की अधिकारिता, शक्तियां और प्राधिकार ।

14. अधिकरण, नियत दिन से ही, यथास्थिति, राजमार्ग प्रशासन या उसकी ओर से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा धारा 26, धारा 27, धारा 28, धारा 36, धारा 37 और धारा 38 के अधीन पारित आदेशों या की गई कार्रवाइयों (सूचनाओं के जारी किए जाने या तामील किए जाने को छोड़कर) के विरुद्ध अपीलों को ग्रहण करने की अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करेगा ।

15. नियत दिन से ही, अधिकरण के सिवाय, किसी न्यायालय (उच्चतम न्यायालय और संविधान के अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी उच्च न्यायालय को छोड़कर) या अन्य प्राधिकारी को, धारा 14 में विनिर्दिष्ट विषयों के संबंध में कोई अधिकारिता, शक्तियां या प्राधिकार नहीं होंगे या उनका प्रयोग करने का हक नहीं होगा ।

अधिकारिता का वर्जन ।

1908 का 5

16. (1) अधिकरण, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अधिकथित प्रक्रिया द्वारा आबद्ध नहीं होगा किन्तु वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों से मार्गदर्शन प्राप्त करेगा और इस अधिनियम के तथा किन्हीं नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, अधिकरण को अपनी प्रक्रिया का विनियमन करने की शक्ति होगी, जिसके अंतर्गत वे स्थान भी होंगे जहां उसकी बैठकें होंगी ।

अधिकरण प्रक्रिया और शक्तियां ।

(2) धारा 14 के अधीन अधिकरण के समक्ष फाइल की गई अपील पर उसके द्वारा यथासंभव शीघ्रता से कार्रवाई की जाएगी और उसके द्वारा यह प्रयास किया जाएगा कि अपील के प्राप्त होने की तारीख से चार मास के भीतर उसे अंतिम रूप से निपटा दिया जाए ।

(3) अधिकरण को, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित विषयों के संबंध में वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् :—

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथ पर साक्ष्य ग्रहण करना ;

(घ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ;

(ङ) अपने विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करना ;

(च) किसी अपील या आवेदन को व्यतिक्रम के कारण खारिज करना या उसका एकपक्षीय रूप से विनिश्चय करना;

(छ) व्यतिक्रम के कारण किसी अपील या आवेदन को खारिज करने के किसी आदेश को या अपने द्वारा एकपक्षीय रूप से पारित किसी आदेश को अपास्त करना ;

(ज) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए ।

1860 का 45

(4) अधिकरण के समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत और धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी तथा अधिकरण को, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के सभी प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

1974 का 2

17. इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी आवेदन या अपील पर या उससे संबंधित किसी कार्यवाही में (व्यादेश के रूप में या रोक के रूप में या किसी अन्य रीति से) कोई अंतरिम

अंतरिम आदेश करने के बारे में शर्तें ।

आदेश तभी किया जाएगा जब—

(क) ऐसे पक्षकार को, जिसके विरुद्ध ऐसा आवेदन किया जाता है या अपील की जाती है, ऐसे आवेदन या अपील की और ऐसे अंतरिम आदेश के लिए अभिवाक् के समर्थन में सभी दस्तावेजों की प्रतिलिपियां दे दी जाती हैं ; और

(ख) ऐसे पक्षकार को मामले में सुनवाई का अवसर दे दिया जाता है :

परन्तु यदि अधिकरण का, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, यह समाधान हो जाता है कि, यथास्थिति, आवेदक या अपीलार्थी को कोई ऐसी हानि पहुंचाए जाने से जिसकी धन के रूप में पर्याप्त रूप से प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकती है, निवारण के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो वह खंड (क) और खंड (ख) की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकेगा और आपवादिक उपाय के रूप में अंतरिम आदेश कर सकेगा; किन्तु ऐसा अंतरिम आदेश, यदि पहले ही निरस्त नहीं किया जाता है तो ऐसी तारीख से जिसको वह किया गया था, चौदह दिन की अवधि की समाप्ति पर प्रभावहीन हो जाएगा, जब तक कि उक्त अपेक्षाओं का उस अवधि की समाप्ति के पहले अनुपालन नहीं कर दिया गया है और अधिकरण ने अंतरिम आदेश के प्रवर्तन को जारी नहीं रखा है ।

अधिकरण
आदेशों
निष्पादन ।
के
का

18. (1) इस अधिनियम के अधीन अधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश अधिकरण द्वारा सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में निष्पादनीय होगा और इस प्रयोजन के लिए, अधिकरण को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी ।

(2) अधिकरण, उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अपने द्वारा किए गए किसी आदेश को, स्थानीय अधिकारिता रखने वाले किसी सिविल न्यायालय को भेज सकेगा और वह सिविल न्यायालय उक्त आदेश का निष्पादन उसी प्रकार करेगा मानो वह उसके द्वारा की गई डिक्री हो ।

परिसीमा ।

19. इस अधिनियम के अधीन अधिकरण को प्रत्येक अपील, उस तारीख से जिसको वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, किया गया था, साठ दिन की अवधि के भीतर की जाएगी :

परन्तु साठ दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी कोई अपील ग्रहण की जा सकेगी, यदि अपीलार्थी अधिकरण का यह समाधान कर देता है कि विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपील न करने के लिए उसके पास पर्याप्त हेतुक था ।

* * * * *

अध्याय 8

प्रकीर्ण

अपीलार्थी का विधि
व्यवसायी की
सहायता लेने का
अधिकार ।

40. इस अधिनियम के अधीन अधिकरण में अपील करने वाला व्यक्ति, अधिकरण के समक्ष अपना पक्ष कथन प्रस्तुत करने के लिए या तो स्वयं हाजिर हो सकेगा या अपनी पसंद के विधि व्यवसायी की सहायता ले सकेगा ।

आदेशों का अंतिम
होना ।

41. इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, राजमार्ग प्रशासन या ऐसे प्रशासन द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश या की गई कोई कार्रवाई अथवा अधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपील पर पारित प्रत्येक आदेश या किया गया विनिश्चय अंतिम

होगा और किसी मूल वाद, आवेदन या निष्पादन कार्यवाही में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा तथा इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन राजमार्ग प्रशासन या अधिकरण को प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई के संबंध में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई व्यादेश अनुदत्त नहीं किया जाएगा ।

* * * * *

50. (1) (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

* * * * *

(च) वे अतिरिक्त विषय, जिनके संबंध में अधिकरण, धारा 16 की उपधारा (3) के खंड (ज) के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा ;

* * * * *

वित्त अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 7) से उद्धरण

* * * * *

184. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या अन्य प्राधिकरणों, जैसा कि आठवीं अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट है, के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी या सदस्यों की अर्हताओं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्तों, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों का उपबंध करने के लिए नियम बना सकेगी :

परंतु अधिकरण, अध्यक्ष, अपील अधिकरण या अन्य प्राधिकरण का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी या सदस्य केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में यथाविनिर्दिष्ट पदावधि के लिए किंतु उस तारीख से जिसको वह पद धारण करता है, पाँच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए पद धारण नहीं करेगा और पुनः नियुक्ति का पात्र होगा :

परंतु यह और कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी या सदस्य केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में यथा विनिर्दिष्ट निम्नलिखित आयु प्राप्त करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा,—

(क) अध्यक्ष की दशा में सत्तर वर्ष ;

(ख) उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी या अन्य सदस्य की दशा में सड़सठ वर्ष ।

(2) यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी या सदस्य के वेतन, भत्ते और न ही उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों में, उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनके अफायदाप्रद रूप में कोई परिवर्तन किए जा सकेंगे ।

* * * * *

नियम बनाने की शक्ति ।

अधिकरण, अपील अधिकरण और अन्य प्राधिकरणों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, सेवा के निबंधन और शर्तें, वेतन और भत्ते आदि ।

आठवीं अनुसूची

[धारा 183 और धारा 184 देखिए]

क्रम सं०	अधिकरण/अपील अधिकरण/बोर्ड/प्राधिकरण	अधिनियम
(1)	(2)	(3)
10.	विमानपत्तन अपील अधिकरण	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 55)
*	*	*
12.	अपील बोर्ड	व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1999 का 47)
*	*	*
14.	अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण	आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
*	*	*
15.	फिल्म प्रमाणपत्र अपील अधिकरण	चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37)
*	*	*